राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का प्रथम दिवस [संख्या १

शुक्रवार, २४ अक्टूबर, १९५८

———

विधान सभा की बैठक म० पू० १२ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : सचिव।

सचिव (श्री धर्मेन्द्र परिहार) **:** श्रीरामचंद्र।

(श्री रामचंद्र चौधरी ने हिन्दी में शपथ ली)

(करतल-ध्वनि)

श्री भोंगा।

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री दयाकृष्ण विजय।

गम्भीर नदी पर पुल का निर्माण

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) **:** क्या सावर्जनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि हिन्डौन से मन्डावर तक की सड़क खराब होने तथा गम्भीर नदी पर पुल न होने से जनता को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार गम्भीर नदी पर पुल बनाने तथा सड़क को ठीक कराने का विचार रखती है?

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** जी हां, सड़क की मरम्मत शुरू की जा रही है। अभी पुल बनने की कोई योजना नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : इस सड़क के लिए टेन्डर कब इन्वाइट किये गये थे और मरम्मत को कम्प्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने डेट फिक्स की थी क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर्स कई बार इन्वाइट किये गये, पर कोई टेन्डर आया नहीं, इसलिए डिपार्टमेंटल कार्य शुरू कर दिया गया और काम को जल्दी चलाने के लिए फिशर लगा कर काम किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि सड़क पर जो खराबी है वह पुल की वजह से है? यदि पुल नहीं बने तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या सड़क के साथ पुल बनाने का विचार है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क की मरम्मत

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के साथ पुल नहीं होने से फायदा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। पुल नहीं बनाने से थोड़ा डिस्टेन्स रह जायगा, थोड़े डिस्टेन्स की डिफिकल्टी रह जायगी, बाकी को फायदा हो जायगा। पुल को बनाने के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है, वह है नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

चम्बल बांध में प्रयोग में आया हुआ सीमेन्ट

२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(1) What is the total quantity of cement consumed so far for various works at Chambal Barrage site at Kota ?

(2) What is the total quantity of cement used in grouting and masonry work respectively at the barrage site ?

उप-सिंचाई मंत्री (भीखाभाई) :
(1) 17,1234 tcns.

(2) (a) Grouting-322.35 tons.

(b) Masonry work (inclusive of concreting) 16801.05 tons.

श्री पी० के चौधरी : Is it correct that a large quantity cement-American cement used in the Kota Barrage are being smuggled away ?

श्री भीखाभाई : It is not correct.

श्री श्रीभानसिंह : Has such information come to the Government through the Home Department ?

श्री भीखाभाई : No such information has been received from the Government scurces.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that two trucks loaded with cement are in the custody of the C. I. D. Police there, pending disposal of the cement caught during the course of smuggling ?

श्री भीखाभाई : इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है, अगर माननीय सदस्य के पास अधिकृत सूचना हो और उसको लिखित में दें तो उसकी जानकारी की जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : It is correct that the stock register of the cement used in the Kota Barrage and the Issue Register don't tally ?

श्री भीखाभाई : Sir, I have given all the replies in the negative, so supplementary question does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : Then a supplementary arises. 'Did not the Experts report that the cement used is much more than the quantity prescribed. जो बेराज के अन्दर सीमेन्ट कन्ज्यूम हुआ है, वह प्रेस्काइब्ड क्वान्टिटी से ज्यादा हुआ है, वह मालूम नहीं पड़ता।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) : जितना सीमेन्ट कन्ज्यूम होना जरूरी था, उतना ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

Page No.3

बहरों गूगों तथा अन्धों को शिक्षित करने के लिये स्कूलों का खोला जाना

३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इस समय बहरों, गूंगों तथा अन्धों को शिक्षित करने के लिये कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने शिक्षार्थी हैं तथा कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या राजस्थान में सेठ आनन्दीलाल पोद्दार इन्स्टीट्युशन फोर डीफ, डम्ब एन्ड ब्लाइन्ड नाम की कोई संस्था इस दृष्टि से कार्य करती है ? यदि हां, तो इसका केन्द्र किस स्थान पर है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अपनी द्वितीय योजना में उपरोक्त विषय के दो स्कूल खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो ये स्कूल कहां कहां खोले गये हैं ?

उप-शिक्षामन्त्री (श्रीपूनमचन्द विश्नोई) :

(१) बहरों, गूंगों तथा अन्धों का एक स्कूल जयपुर में तथा केवल अन्धों के लिये एक स्कूल अजमेर में है, जिनमें क्रमश: .३४ व ५२ विद्यार्थी तथा ३ और ६ अध्यापक हैं।

(२) जी हां, इसका केन्द्र जयपुर में है।

(३) जी हां, परन्तु यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर अर्थाभाव के कारण शामिल नहीं की जा सकी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह गूंगों, बहरों का स्कूल कहां है साहब ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सांगानेर गेट पर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब गूंगों, बहरों के लिये पोद्दार स्कूल खास तौर पर बनाया गया था, वह उस काम में नहीं लिया जा रहा है और दूसरी जगह उसे क्यों शिफ्ट कर दिया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह बिल्डिंग सूटेबल है, इसलिए वहां चालू कर दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कभी आपने जाकर देखा है ? वहां गूगे, बहरे बच्चे टीन में तपते रहते हैं। जो बिल्डिंग इस खास काम के लिए बनी उसको दूसरे काम में युटिलाइज कर लिया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसको जाकर मैंने कभी नहीं देखा है, जो विभागीय सूचना है वह दे रहा हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपको देखना चाहिये था, बच्चे.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार भिक्षावृत्ति को बन्द कर रही है, लेकिन गूंगे व बहरे रास्तों पर भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार की धन-राशि नहीं रखी है, फिर इस प्रकार के विधेयक को बनाने से क्या फायदा होगा ? अन्धों, बहरों और गूंगों के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन-राशि नहीं रखी है, फिर विधेयक बनाने की क्या जरूरत है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह स्कूल भीख मांगने वालों के लिये नहीं है, भिखमंगों के लिए इसमें स्थान नहीं है। जो लड़के अन्धे, गूंगे अथवा बहरे हैं, उनको इसमें पढ़ाने के लिए है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धनराशि इसलिए नहीं रखी जा सकी कि एजुकेशन का जो बजट है वह ज्यादा खर्च हो चुका है।

श्री दयाकृष्ण विजय : अंधे और बहरे लोगों को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या उन्हें रख कर यों ही खाना खिलाना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शिक्षा देने के लिये दो स्कूलें चल रही हैं ?

डॉ चन्द्रकला : जयपुर में अन्धों-बहरों का स्कूल है, उसके मकान परिवर्तन की आवश्यकता सरकार को क्यों महसूस हुई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पहले का उनका भवन था उसमें राजस्थान कॉलेज खोल दी गई। राजस्थान कॉलेज के लिये दूसरा भवन नहीं था इसलिये राजस्थान कॉलेज को वहां भेजा। दूसरा भवन खाली था जो इस स्कूल के लिये प्रोविजनली काम में आ सकता था, उसमें इस स्कूल को रखा गया।

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजस्थान सरकार राजस्थान कॉलेज को इन गूंगे, बहरे व अन्धे विद्यार्थियों से ज्यादा महत्व देती है, जो पहले से वहां पढ़ रहे थे उनको वहां से हटाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) **:** महत्व दोनों का ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चूरू जिले की सहकारी समितियां

४. **श्री रावतराम** (चूरू) **:** क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू जिले में कुल कितनी सहकारी समितियों का सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ?

(२) उक्त समितियों को कितना कितना रुपया लोन का दिया गया और कितनी समितियों के लोन-पत्र विचाराधीन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चमड़ा उत्पादक सहकारी समितियों को राज्य सरकार उद्योग विभाग से कर्ज नहीं देती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग को लोन देने की क्या व्यवस्था की है ?

उप-सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) **:** (१) ११७ समितियों का।

(२) उक्त समितियों में से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर २,३१,५८४) रु० ऋण दिया जा चुका है। किसी भी समिति का ऋण-पत्र सम्बन्धित सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों के कार्यालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(३) जी, देती है।

श्री पी० के० चौधरी : इन ११७ में से एग्रीकल्चरल कितनी हैं और...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! श्री रावतराम !

श्री रावतराम : इसमें दूसरे नम्बर का उत्तर नहीं दिया है; 'कितना कितना रुपया दिया है समितियों को, यह डिटेल में नहीं बताया है, सबका एक साथ बता दिया है, मैंने अलग अलग पूछा है।

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग समितियों वार आंकड़े तो इस समय प्राप्त नहीं हो सके हैं, अगर आप चाहेंगे तो बता दिये जाएंगे।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो चाह रहे हैं, यही तो क्वेश्चन पूछा है......The Hon'ble Member has tabled this question. 'चाह क्या रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैंने कह दिया है; सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है, दे दी जायगी ।

श्री श्रीभानसिंह : 'चाहेंगे तो दे दी जायगी;' चाहेंगे क्या, चाह तो रहे ही हैं...

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा है...

श्री श्रीभानसिंह : I am addressing the Chair. You will excuse me Hon'ble Minister.

इन्होंने क्वेश्चन टेबल कर दिया, उसका उत्तर नहीं दिया जावे और कह देना कि चाहेंगे तो दे दिया जावेगा ; चाहते तो हैं ही, तभी क्वेश्चन टेबल किया है...

श्री अध्यक्ष : इनके पास इन्फोर्मेशन नहीं है इस समय, फिर दे देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : अगली दफा नहीं देने के । फिर भी कह तो दिया जाय कि अगली दफा जवाब दे दिया जायगा ।

श्री पी० के चौधरी : इन ११७ में से एग्रीकल्चरल और नोनएग्रीकल्चरल कितनी हैं?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है ।

श्री पी० के० चौधरी : अलग प्रश्न नहीं है...

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

जयपुर उद्योग को दिया गया लोन

५. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) On what dates the laon of Rs. 60,00,000/—was sanctioned and advanced to the Jaipur Udyog.

(b) What is the value of the property pledged against this loan ?

(c) Who assessed the value of the pledged property and on what date the report for the same was received by the Government ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) The loan of Rs. 60,00,000/—was sanctioned on 28. 12. 56 and advanced on 2. 1. 57 to the Jaipur Udyog.

(b) The value of the property pledged against the loan is about Rs. 4. 23 crores.

(c) The assessment of the valuation of property was not considered necessary because most of the plant andmachinery and extension of building were new and their import and construction value were duly certified by the Public Auditors. Therefore, under the circumstances the required depreciation on the most

Page No.6

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

conservative lines right upto the period of repayment of the loan was considered. Moreover their working untility and physical existance was got examined by the Government. The valuation report of the plant and machinery was received from the Chief Engineer, Electrical and Mechanical Department on 23. 11. 58.

श्री श्रीभानसिंह : Was the permission of the Planning Commission obtained before sanctioning the loan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : For the grant of this loan it was not at all necessary to obtain the permission of the Planning Commission or the Central Government. However, the Planning Department of the State Government was consulted.

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government of India informed that no fresh loans should be sanctioned or fresh commitments made without the consultation of the Planning Commission?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There was nothing like that.

श्री पी० के० चौधरी : Who negotiated (initiated) the loan proposals, the industries Ministry or the Finance Ministry ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Industries Ministry.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that according to the 1956—57 Balance Sheet of the company, the total assets including their raw material etc., amount to 5 crores only, whereas the Minister stated in the reply that the value of the fixed assets only were 4.23 crores which was pledged against the loan.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: The assets includes all these things-the stocks as well as the other assets: whether they are machinery or buildings.

श्री पी० के० चौधरी : Excuse me Sir, the stocks are never pledged against the loan. Only fixed capitals and fixed assets are pledged against the loan.

श्री रिखबचंद धारीवाल : This is a wrong view of the Hon'ble Member.

श्री पी० के० चौधरी : What was the total amount of stocks which were pledged against this loan.

श्री अध्यक्ष : He said that it was 4.23 crores.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, he said 4.23 crores including the total assets, stocks etc. according to the Balance Sheet ...

श्री अध्यक्ष : According to you, not according to the Balance Sheet.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, according to the Balance Sheet, I would like to place it.

श्री अध्यक्ष : Which year's Balance Sheet ?

Page No.7

श्री पी० के० चौधरी : 1956—57. According to this blance sheet. 4 crores include stocks etc. worth Rs. 1 crore and stocks can never be pledged against the loan because the stocks will be disposed of.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I can't understand, what is the actual point. The whole thing is that the value of the property is 4.23. crores. The Hon. member is referring to balance sheet and I very much regret that the balance sheet is not in my hand at the present moment.

श्री श्रीभानसिंह : Did the pledged property include the stocks also that is the point the Hon. member wishes to know.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That I can only say if I had the Balance Sheet before me which is not with me at present. I have already told that the value of the property is 4.23 crores.

श्री पी० के० चौधरी : I have not go the Balance Sheet, but I can produce to-morrow to show that total value of the assets was 4 crores and out of this over one crore was stocks.

श्री अध्यक्ष : They might have acquired more assets after wards.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : If the Hon. member is more interested in this we can have half an hour's discussion so that the whole malter may be thrashed out.

श्री श्रीभानसिंह : This is not the point. He is just asking a supplementary and he wants to know what type of properties were pledged.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): He says that the Balance Sheet is not here, but one thing is very clear, that against 4.23 crores we have advanced only 60 lacks. Even if we had pledged only 1.5 crores it would have been justified. As against this we are taking about 4.23 crores.

श्री श्रीभानसिंह : It is not a question of justification. The question of justification does not arise and will not arise. The question is just what type of properties were pledged and did they include the stocks or not.

श्री धारीवाल : That Hon. member will kindly look to the question. The question was for valuation of the property pledged. It was never asked as to how many total assets of the company were there.

श्री श्रीभानसिंह : That way you can save yourself. There I agree, but the question of justification or unjustification does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : Whether the whole amount was advanced in one instalment or....

श्री धारीवाल : In one instalment.

श्री पी० के० चौधरी : What were

Page No.8

(श्री पी० के० चौधरी)

the conditions under which it was advanced ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They are all incorporated in the Agreement. It is very difficult for me to read out all the conditions.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon. Minister be pleased to place a copy of the same before the house.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: Yes, if the Hon. member would ask for it, I can certainly place it before the House.

श्री पी० के० चौधरी : I am asking for it. A copy of the agreement may be placed on the Table of the House.

हाईकोर्ट बैंच जयपुर

५.रावराजा श्रीसरदारसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि केपिटल इन्क्वायरी कमेटी (Rao Committee) के सम्मुख मुख्य मंत्री ने यह बयान दिया था कि यदि जयपुर से हाई कोर्ट की बैन्च को उठा दिया जायगा तो जयपुर डिवीजन में आन्दोलन का खतरा हो जायगा ?

(२) अगर हां, तो यह ध्यान में रखते हुए कि भारत के किसी भी अन्य प्रान्त में जब हाई कोर्ट की बैंचें बदस्तूर कायम हैं तो सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट को क्यों स्वीकार किया तथा क्यों उसे कार्यान्वित करने में जल्दबाजी की ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त बैंच को जयपुर से हटा देने पर आन्दोलन हो रहा है जिससे प्रजा के जान-माल की क्षति हो रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार इसके लिये जल्दी से जल्दी दुबारा सोच-विचार करके कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) जी हां।

(२) हमने इस सम्बन्ध में जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसे भारत सरकार के गृहमंत्री को रेफर किया था और उसकी एडवाइज पर राजस्थान में यह निश्चय किया।

(३) जहां तक पुनः विचार करने का प्रश्न है यह प्रश्न उठता नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान सरकार ने पंत पर इस मामले को क्यों छोड़ा ? इससे मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने अपनी महत्ता को न निभा कर हमेशा के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने के लिये दरवाजा खोल दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है। री-ऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट का फैसला हुआ और भारतवर्ष में सारी जगह राजधानी आदि के प्रश्न को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीच में पड़ कर हल किया। इसी प्रकार यह प्रश्न भी जब अजमेर और राजस्थान के बीच में था तब इस सदन को सूचित किया था कि हमने इस प्रश्न को गृहमंत्री पर छोड़ा है और यह निवेदन किया है कि इस मामले में एक्सपर्ट की एक समिति के द्वारा इसकी जांच करवा कर वे अपनी सलाह दें।

Page No.9

रावराजा श्री सरदारसिंह : भारत के अन्य स्टेट्स में इस प्रकार हाई कोर्ट की ब्रांच है, तो फिर सरकार ने यहां से उस ब्रांच को हटा कर जल्दबाजी क्यों की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): राव कमेटी ने अपनी राय दी और उसके बाद निर्णय लिया गया। इसलिये जल्दी का प्रश्न ही नहीं आता।

रावराजा श्री सरदारसिंह: क्या उसमें ऐसी बात थी कि अगर वहां पर एजिटेशन का अन्देशा हो तो उसको जल्दी न हटाया जावे और गवर्नमेंट उस पर विचार करके हटाए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): एजिटेशन जल्दी हटाने का कारण बना।

श्री श्रीभानसिंह : But the Home Ministry never asked the Rajasthan Government that they should immediately remove the Jaipur High Court Bench.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : Why was the Goverenment so anxious to remove it immediately from Jaipur ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जो फैसला करना है उसको कर दिया जावे, अच्छा है।

श्री श्रीभानसिंह : How far the rumours are correct that the Hon. Home Minister and the Hon. Revenue Minister assured the Bar Association that as regards the High Court Bench at Jaipur it is with the Bar Association and with the general public of Jaipur and not with the Government ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): यह जब तक कमेटी नहीं बनाई गई थी और राजस्थान और अजमेर दो राज्य अलग अलग थे, उस समय की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : May I draw the attention of the Chief Minister, the Hon, Leader, that in the September ssue of the 'Careers and o monthly this was distinctly published that the Hon. Minister of Revenue and the Hon. Home Minister went to the Bar Association and give then this assurance.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैंने तो कभी बार एसोसियेशन में जाकर कहा नहीं। लेकिन मैंने पत्र लिखा था और मेरा ख्याल है कि अजमेर और राजस्थान उस समय अलग अलग थे।

श्री श्रीभानसिंह : मैं केरियर और कोर्सेज पेपर का जिक्र कर रहा हूं और होम मिनिस्टर और रेवेन्यु मिनिस्टर के बारे में कह रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री): चूंकि यह मुझसे संबन्ध रखता है, मैं इसका जवाब दे दूँ तो ज्यादा अच्छा है।

बार एसोशियेशन में मैं गया था, यह सच है। लेकिन यह मैंने कहा हो कि हाई कोर्ट नहीं हटेगा यह गलत है।

श्री अर्जुनदास : We are certainly

(श्री अर्जनदास)

interested in what he said there; What did he say there?

श्री रामकिशोर व्यास : आप इसके संबन्ध में अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उनका जवाब दूंगा।

श्री अर्जनदास : You can at least give some part of it.

श्री अध्यक्ष : But he will only give his part, it is better to have the whole story.

श्री अर्जनदास : Let him give his own part.

श्री श्रीभानसिंह : This statement of the Home Minister and the Revenue Minister caused lot of violence in Jaipur because the public thought that half the Ministry is behind their demand.

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से पूछ लीजिये कि वह बात कही गई।

श्री श्रीभानसिंह : I have referred to the September issue of 'Careers and Courses', in which the statement of the Home Minister and the Revenue Minister is published that this was said in the Bar Association.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जब कि यह बात गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दी है तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, लेकिन जिन कारणों से यह हिंसा हुई या जिन वक्तव्यों से हुई, यह तो आप सभी माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है।

श्री अर्जनदास : What about the other Hon. Minister. He was not bold enough to say anything.

श्री अध्यक्ष : It is the same for him.

श्री श्रीभानसिंह : Then I should take that whatever has been printed in the monthly 'Careers and Courses' is wrong.

श्री रामकिशोर व्यास : I have not gone through it (the copy of 'Careers and Courses').

श्री सतीशचन्द्र : क्या राजस्थान सरकार ने जो भाषण यहां हुए थे उनकी प्रतिलिपि वहां पर भेज दी थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उनको पूरी जानकारी दे दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गृह-मंत्रालय ने राय दी तो राजस्थान सरकार ने उसके पास भेजने से पहले धारा सभा के सदस्यों से क्यों नहीं राय ली?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): काफी राय ली, काफी वाद-विवाद हुआ, इससे माननीय सदस्य सभी परिचित हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राय नहीं ली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): राय ली थी।

श्री श्रीभानसिंह : जो होम मिनिस्टर साहब के पास भेज दी गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैंने कहा कि इस संबन्ध में जानकारी दे दी गई।

Page No.11

श्री श्रीभानसिंह : क्या तरीका अपनाया गया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): प्रेस के जरिये, डिपार्टमेंट के जरिये और मैंने भी पूरी तरह से अपनी राय बता दी।

श्री श्रीभानसिंह : राय भेजने का तरीका ही जानना चाहते हैं ? Then the Leader of the Housea ssured that all the discussion material will be sent to the Home Ministry. Therefore, I want to know whether the copies of these discussions were sent to the Home Ministry or not ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मुझे जहां तक याद आता है, मैंने यहां के सदस्यों की राय की जानकारी करने को कहा और वह उनको करा दी गई।

श्री श्रीभानसिंह : जानकारी किस तरीके से कराई गई, यह बताया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री श्रीभानसिंह : Was it a note on behalf of the Leader that there discussions took place and so many spoke for and so many spoke against ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मेरे अकेले जाने का प्रश्न नहीं। लेजिस्लेटर्स के दोनों तरफ के काफी तादाद में व्यूज़ मौजूद थे। कोई व्यूज़ की जानकारी के भ्रम में फैसला हुआ हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्यों ने जो अपने व्यूज़ यहां पर दिये थे उनकी प्रतिलिपियां गृह मंत्रालय को भेज दी गई या नहीं ? उन पर क्या कार्यवाही हुई ? प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कन्सोलिडेटेडली 'हां' या 'ना' जयपुर, जोधपुर, अजमेर......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री) : मेरी तरफ से, कोई तथ्य तोड़-मरोड़कर रखे हों, यह कहने से कोई इस प्रश्न पर हम रोशनी डाल सकते हों, ऐसी कोई बात नहीं है। इस विषय पर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो ध्यान में नहीं लाई गई हो। सारी की सारी वर्बेटिम प्रोसीडिंग्ज शायद नहीं भेजी गई हों, लेकिन वैसे जानकारी जितनी भेजनी थी भेज दी गई

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय जानकारी भेजने का आपने क्या मीडियम अपनाया ? डिबेट हुई, उसकी जानकारी किस तरह से भेजी गई ?

श्री अध्यक्ष : He has said, how the opinion was conveyed.

श्री श्रीभानसिंह : Then I should conclude that the proceedings of the House were not sent ?

श्री अध्यक्ष : You can conclude what you like.

श्री श्रीभानसिंह : Some members had put the question that the matter be put to vote at that time. The Chief Minister said that no votes will be taken but the proceedings as such will be sent to the Home Ministry, so we would like to know whether the proceedings as such where sent or not.

श्री अध्यक्ष : He has said clearly more ? than once that the proceedings were not sent.

श्री पी० के० चौधरी : I would submit, Sir, that......

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री अर्जुनदास : The Hon. Leader sent his own opinion or the opinion of this House ?

श्री मुख्य मंत्री : मेरी पर्सनल ओपीनियन एक्सप्रेस करने का प्रश्न नहीं आता। मेरी जो आम तौर से राय थी वह सबकी राय के साथ रखी गई। इस बात पर सोच-विचार कर निर्णय लिया गया।

इस बात पर सोच विचार कर निर्णय लिया गया। इस प्रश्न पर भी काफी एजिटेशन हुआ, इस प्रश्न को सारा हिन्दुस्तान जानता है, प्रेस में इसकी काफी चर्चा हुई है, काफी इस संबन्ध में डेप्युटेशन्स गये हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो इसकी जानकारी से बाहर रहा हो। इसमें हमें विश्वास रखना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : I would request the Hon. Speaker to refer this matter to the Assurance Committee that the hon. Leader gave an assurance that the proceedings will be sent to the Home Ministry and if...

श्री अध्यक्ष : Next question.

मानप्रकाश सिनेमा के पास की जमीन

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एडवर्ड मैमोरियल और मानप्रकाश सिनेमा, जयपुर के बीच की जमीन पर पी० डब्ल्यु० डी० का अधिकार है ?

(२) अगर हां, तो क्या उपरोक्त जमीन किराये पर किसी को दे रखी है ?

(३) यदि हां, तो वह जमीन किस पार्टी को और कितने मासिक किराये पर दे रखी है ?

(४) इस जमीन का अब तक किराया कितना होता है? अब तक कितना किराया वसूल हो चुका है और कितना बाकी है ?

(५) अब तक किराया बाकी रहने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या वाकई वह जमीन सरकार की नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसका जवाब दे चुका हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वह जमीन पी० डब्ल्यु० डी० के अन्डर में है या म्युनिसिपैलिटी के अन्डर में ?

Page No.13

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

गलवा बन्ध उनियारा

७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उनियारा में गलवा नामक बंध तैयार हो रहा है ?

(२) अगर हाँ, तो कितनी लागत का और अब तक यह कितना बन चुका है और कब से शुरू हुआ था ?

(३) क्या इसका काम अभी चालू है ? अगर नहीं, तो क्यों और कब से बन्द है ?

(४) इस बन्ध के लिये कितना सरकारी स्टाफ उनियारे में रहता है और उसका सालाना क्या क्या बजट है ?

उप-सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हाँ।

(२) इसकी अनुमानतः लागत १० लाख ६६ हजार ३३८ रुपया है, जिसमें से अब तक ४ लाख ७७ हजार ६६३ रुपया की लागत का कार्य हो चुका है और शेष होना बाकी है। इस पर कार्य सन् १६५५ में चालू हुआ था।

(३) जी हाँ, काम अभी चालू है।

(४) इस बांध पर उनियारा में असिस्टेन्ट इन्जीनियर, दो ओवरसियर्स, एक लेखक और दो चपरासी हैं। इसका वार्षिक बजट १६ हजार रुपया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह गलवा बांध कब से बन्द है ?

श्री भीखाभाई : लगभग यह २१ महीने तक बन्द रहा था। बांध का काम बन्द रहा, किन्तु कैनाल का काम जारी रहा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कैनाल का काम चौमासे में भी चलता रहा ?

श्री भीखाभाई : चौमासे में कहीं कन्सट्रक्शन का काम नहीं चल सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या खुदाई का काम भी होता रहा ?

श्री भीखाभाई : काम जारी रहा, जहाँ नहीं हो सकता था वहाँ नहीं किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहाँ हो सकता था और कहाँ नहीं हो सकता था, इसकी सूची बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल बता दीजिये ?

श्री भीखाभाई : मैं कोई सोइल विशेषज्ञ नहीं हूँ।

मोटर स्टेन्ड्स पर विश्राम-गृह आदि का निर्माण

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार को विदित है कि मोटर-बसों से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के तथा गर्मी-बरसात से बचाने के लिये राजस्थान में मोटर स्टेन्डों पर वेटिंग हॉल, जलपान गृह, शौचगृह आदि साधन नहीं हैं

(श्री सज्जनसिंह)

और उनके बगैर यात्रियों को बहुत कठिनाई व असुविधा होती है ?

(२) क्या मोटर विहिकल्स एक्ट में यात्रियों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये कोई प्रावधान है जिसके जरिये मोटर ऑपरेटर्स को सरकार इसके लिये बाध्य कर सके ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त एक्ट में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान करने का विचार रखती है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) पुनाने मोटर स्टेन्डों पर अधिकतर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं,बाकी औरों के लिये मोटर मामलात मुतालिका आर० टी० एज० के विचाराधीन हैं ।

(२) हां, राजस्थान-मोटर विहिकल्स रूल्स की धारा १३४ में ऐसा प्रावधान मौजूद है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीभानसिंह : पुराने जो मोटर बस की स्टेन्ड है वहां किन किन बस स्टेन्ड्स पर उपरोक्त सुविधाएं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी सूची मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : तो आप यह किस आधार पर फरमा रहे हैं कि पुराने बस स्टैण्डों पर अधिकतर सुविधाऐं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कई स्टेण्ड देखे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : जिन जिन मोटर स्टेण्डों को आपने देखा है वही बता दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा में है, बूंदी में है, पाली में है, ब्यावर में है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जयपुर में भी ऐसे बस स्टेण्ड्स हैं जहां इस प्रकार की सुविधाऐं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सारे राजस्थान के लिये कहा नहीं, बाकी के मामले आर० टी० ए० के विचाराधीन हैं । वे कानून के अन्तर्गत एक्शन ले सकते हैं और उसके अन्तर्गत वे एक्शन ले रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या यह मान लिया जाय कि जयपुर के बस स्टेण्ड आपको देखने का मौका नहीं मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने लेट्रिन्स वगैरह तो देखी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मन्त्री महोदय ने यह देखा है कि यहां के बस स्टेण्ड्स पर कितनी असुविधाएं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह तो कहता नहीं कि सारी सुविधाएं हो गई हैं ।

श्री सज्जनसिंह : आपने जैसे फरमाया कि पुराने मोटर स्टेण्डों पर कई जगह सुविधाएं हैं और कई जगह नहीं तो, नये मोटर स्टेण्ड्स जहां भी बन रहे हैं वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं हों क्या इस सम्बन्ध में सरकार एक्शन ले रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे तो यह मामला सरकार के हाथ में नहीं है, कानून के अन्तर्गत यह आर० टी० ए० के आधीन है । आर० टी० ए० के ऑफिस को हमारी तरफ से यह हिदायत दे दी गई है प्राइवेट ऑपरेटर्स

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को कह कर कि इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध की जायं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जयपुर के वर्तमान बस स्टेन्ड्स को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोई योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार का बस स्टेन्ड उखाड़ने और बनाने का काम नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government thinking of constructing portable bus stands ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार के विचारने का काम नहीं है, मोटर विहिकल्स के नीचे काम होता है।

भूतपूर्व ठि० उनियारा के स्कूलों की इमारतें

६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व ठि० उनियारा की शिक्षण संस्थाओं की इमारतें सरकार ने अपने अधिकार में ले रखी हैं ?

(२) अगर हां, तो कब से और उनकी अब तक कितनी कितनी दफा मरम्मतें हुईं और किसके द्वारा ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त स्कूलों की इमारतों की हालत खतरनाक है।

उप-शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) दिनांक २२. ६. ५४ से ठिकाना उनियारा की केवल ४ शिक्षण संस्थाओं की इमारतें सरकार के अधीन हैं :

(क) हाई स्कूल उनियारा, जिसमें अभी प्राथमिक पाठशाला चल रही है, (ख) मिडिलस्कूल, नगर, (ग) मिडिल स्कूल, आवां व (घ) मिडिल स्कूल, बनेठा।

उपरोक्त स्कूलों के भवन, निर्माण विभाग ने अपने अधीन नहीं किये हैं, वैसे शिक्षा विभाग द्वारा ही उक्त भवनों की समय समय पर मरम्मत ग्रान्ट के अनुसार करवाई जाती है। सन् ५६-५७ में मिडिल स्कूल्स, नगर व आवां के भवनों की सरकार द्वारा मरम्मत करवाई गई है।

(३) केवल हाई स्कूल उनियारा का भवन, जिसमें इस समय प्राथमिक पाठशाला चलती है, उसकी एक दीवार की हालत खराब है जिसकी मरम्मत की कार्यवाही चल रही है। शेष भवनों की हालत ठीक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा में जो मिडिल स्कूल चल रहा है कभी उस स्कूल को आपने देखा है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी नहीं।

श्री सरदारसिंह : तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि उसकी हालत ठीक है; उसकी तो पट्टियां टूट रही हैं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मेरे विभाग की सूचना है, जिसको मैं सही मानता हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नगर आप जब गये थे, वहां की स्कूलों की हालत भी बहुत खराब है।

श्री पूनमचंद विश्नोई : बहुत खराब तो नहीं है।

पुलिस कर्मचारियों का वेतन, धौलपुर

१०. **श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) :** क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर में पुलिस दल का वेतन १६ अप्रेल, १९५७ से इस माह तक किस किस तिथि को दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि माह अप्रेल १९५८ ई० का वेतन २८ मई, १९५८ को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : १. धौलपुर में नियुक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अमला को जिस जिस दिन वेतन दिया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार है :

Name of Police Station.		Month.	Date of payment from Treasury, Dholpur.
Kotwali.	Dholpur.	April, 57.	14-5-57.
Line.	,,	,,	14-5-57.
Kotwali.	,,	May, 57.	24-6-57.
Line.	,,	,,	18-6-57.
Kotwali.	,,	June, 57.	16-7-57.
Line.	,,	,,	27-7-57.
Kotwali.	,,	July, 57.	14-8-57.
Line.	,,	,,	14-8-57.
Kotwali.	,,	August, 57.	12-9-57.
Line.	,,	,,	26-9-57.
Kotwali.	,,	Sept., 57.	19-10-57.
Line.	,,	,,	19-10-57.
Kotwali.	,,	Oct., 57.	22-11-57.
Line.	,,	,,	22-11-57.
Kotwali.	,,	Nov., 57.	20-12-57.
Line.	,,	,,	20-12-57.
Kotwali.	,,	Dec., 57.	4-2-58.
Line.	,,	,,	18-1-58.
Kotwali.	,,	Jan., 57.	26-2-58.
Line.	,,	,,	17-2-58.
Kotwali.	,,	Feb., 58.	22-3-58.
Line.	,,	,,	25-3-58.

Page No.17

(श्री रामकिशोर व्यास) :

Name of Police Station.		Month.	Date of payment from Treasury, Dholpur.
Kotwali.	Dholpur	March, 58.	22-4-58.
Line.	,,	,,	22-4-58.
Kotwali.	,,	April, 58.	19-5-58.
Line.	,,	,,	28-5-58.
Kotwali.	,,	May, 58.	3-6-58.
Line.	,,	,,	10-6-58.
Kotwali.	,,	June, 58.	3-7-58.
Line.	,,	,,	2-7-58.
Kotwali.	,,	July, 58.	31-7-58.
Line.	,,	,,	31-7-58.

जी हाँ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का माह अप्रेल का वेतन २८–५–५८ को दिया गया। इसका मुख्य कारण अमले का वेतन बिल देर से बनना है।

डॉ बहादुरसिंह : इसके लिए कौन सी तिथि निश्चित थी कि जिसको मिल जाना चाहिये था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें देर अवश्य हुई है। ऑर्डिनरीली विदिन टैन डेज़ मिल जाना चाहिये। आगे जल्दी देने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

उनियारा हाई स्कूल में कॉमर्स कक्षा

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उनियारा हाई स्कूल को कामर्स कक्षा के उपयोग के लिये ८०००) रुपये की ग्रान्ट सन् १६५७–५८ में हुई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त ग्रान्ट दे दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ४०००) रु० की राशि सन् १६५७–५८ में स्वीकृत की गयी थी।

(ख) यह रुपया यूनिवर्सिटी द्वारा कॉमर्स विषय में मान्यता प्राप्त न होने के कारण इस स्कूल में खर्च नहीं किया जा सका।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर यह मंजूरी कैसे दी गई थी ? आपको पहले मालूम नहीं था क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले यूनिवर्सिटी की मन्जूरी थी, पर बाद में रिन्यु नहीं की।

रावराजा श्री सरदारसिंह : युनिवर्सिटी ने किस बिना पर नहीं की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो वे ही जानें। मैं यही कह सकता हूं कि मन्जूरी रिन्यु नहीं की गई।

Page No.18

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप भी तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप भी तो रूल जानते होंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बामनवास तहसील को बिजली देने की व्यवस्था

१२. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील बामनवास में कुओं से खेतों में पानी दिया जाता है तथा यहां ऐसे कुओं की संख्या बहुत ज्यादा है ?

(ख) दौसा से गंगापुर जाने वाली बिजली की लाइन से तहसील बामनवास क्षेत्र को कृषि के लिए बिजली देने की व्यवस्था कब तक दी जा सकेगी ?

उप कृषिमन्त्री (श्री दौलतराम) :
(क) जी हां।
(ख) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पृथ्वीराज : कई बार कहा गया कि अब बिजली चालू करेंगे, अब करेंगे। कई साल बीत गये पर आज तक बिजली वहां नहीं दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में तो आप बिजली के विभाग से पूछियेगा। पानी तो ज्यादा है कूओं में। बिजली जल्दी देने लग जावें तो धान की पैदावार बढ़ सकती है और ज्यादा आसानी से की जा सकती है।

जयपुर जिले की कन्या-पाठशालाएं

१३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर ज़िले में कितनी कन्या पाठशालाएं हैं जिनमें एक ही शिक्षिका रखी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पाठशालाएं शिक्षिका के अभाव में प्राय: बन्द रहती हैं ?

(ग) ऐसे स्कूलों में शिक्षिकाओं के अभाव का क्या कारण है और उन्हें दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(घ) क्या सरकार लड़कियों के स्कूलों को भी बेसिक स्कूलों में बदलने का विचार कर रही ?

उप-शिक्षामन्त्री (श्री पूरनचन्द बिश्नोई):
(क) ३३। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।
(ख) जी नहीं।
(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।
(घ) जी हां।
(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस सदन में एक बार मन्त्री महोदय ने जयपुर जिले की अच्छी खासी संख्या बताई थी जिसमें अध्यापिकाएं नहीं हैं और इस कारण से स्कूलें बन्द पड़ी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस समय में हो सकता है, पर इस वक्त की सूचना से कोई बन्द नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : तो इस सूचना के अनुसार अध्यापिकाओं की नियुक्तियां कागजों में हो गई हैं या जहां उनको पहुंचना चाहिये वहां पहुंच गई हैं और स्कूलें चालू हो गई हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्कूलें चालू हो गई हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इसके भाग चार में बताया गया है कि लड़कियों की स्कूलों को भी बेसिक स्कूलों में बदलने की योजना है। वह योजना क्या बन गई है और बन गई है तो लड़कियों के लिये कोई विशेष योजना है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विशेष योजना नहीं है। इतना सही है कि योजना बन चुकी है और चार लड़कियों के स्कूलों को इस साल बेसिक में परिवर्तित किया है।

डॉ० चन्द्रकला : जिनको किया गया है उनमें कौन सी दस्तकारी रखी गई है, कला कौशल की कौन सी चीजें रक्खी गई हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है। अलग से सवाल आप करेंगे तो मैं बता सकूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या लड़कियों की स्कूलों में भी वही उद्योग रखे हैं जो लड़कों के स्कूलों में ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मैं इस समय नहीं कह सकता। आप सवाल पूछें तो बता सकूंगा।

चराई की दरों का वैज्ञानिकन

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Forests be pleased to state :—

(1) Did the Government appoint Committee to go into the question of rationalising the grazing rates in the state ?

(2) If so, when was this Committee appointed and when did the Committee submit its report to the Government ?

(3) Since when this matter is pending for Government consideration and when does the Government intend to implement Committee's recommendations ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(1) Yes.

(2) The Committee was appointed on 25. 10. 55. It submitted its report on 25.5.57.

(3) The matter is pending since 1957. The Committee's recommendations have been examined by this Government and it has been decided to refer the matter to the Forest Committee recently appointed by the Government.

भाखरा जल विद्युत योजना से बिजली प्राप्ति

१५. **श्री भीमसेन (लूणकरनसर) :** क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा जल विद्युत योजना से राजस्थान को बिजली कब तक मिल जानी चाहिये थी ?

(ख) क्या यह सही है कि पंजाब राज्य उपरोक्त योजना की बिजली का उपयोग गत तीन वर्षों से कर रहा है ? अगर हां, तो राजस्थान इस मामले में पंजाब से पीछे क्यों रहा ?

(श्री भीमसेन)

(ग) उपरोक्त बिजली अब कब मिल जाने की आशा है ?

(घ) बीकानेर डिवीज़न के किन-किन स्थानों को कितनी-कितनी बिजली दिये जाने की योजना है ? क्या लूणकरणसर, कालूसिंथल आदि गावों को उपरोक्त योजना में शामिल करने की मांग चल रही है ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) पंजाब विद्युत विभाग द्वारा मुक्तसर, गंगानगर, हांसी, राजगढ़ बिजली की लाइन अप्रेल ५६ तक तैयार हो जानी चाहिये थी ।

(ख) पंजाब में भाखरा-नांगल से उत्पादित विद्युत का उपयोग किया जा रहा है । स्टील न मिलने के कारण पंजाब विद्युत विभाग राजस्थान की ट्रान्समिशन लाइन तैयार नहीं हो सकी है और राजस्थान में उस बिजली का उपयोग नहीं हो सका ।

(ग) १९५९ के मध्य तक ।

(घ) बीकानेर डिवीज़न के जिन-जिन स्थानों को फिलहाल बिजली दी जा सकेगी उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वहां बिजली कितनी खर्च होगी, यह वहां के लोड पर आधारित है । लूणकरणसर, कालूसिंथल आदि गांव इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भीमसेन : पंजाब ने अपनी लाइन तैयार कर ली और राजस्थान पीछे रहा इसका कारण क्या ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान की लाइन बनाने का काम भी पंजाब के सुपुर्द किया था तो उन्होंने शायद यह सोचा होगा कि अपना काम जल्दी कर लो, दूसरों का काम देर से होता है तो देखा जावेगा; ऐसा सम्भव हो सकता है । बाकी कारण स्टील न मिलने का भी है ।

श्री भीमसेन : अब सरकार क्या सोच रही है ?

श्री भीखाभाई : इस केस को हमने भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड में उठाया है और जल्दी से जल्दी काम लिया जावेगा ।

श्री धर्मपाल : इसके खम्भे कहां तक गड़कर तैयार हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बनीपार्क में हाई स्कूल खोलने की योजना

१६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर के हवाली शहर गर्बी क्षेत्र में कितनी और कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं हैं ?

(ख) इनमें से किन किन संस्थाओं को सरकार की ओर से ऐड मिलती है ? क्या किसी संस्था को समाज कल्याण बोर्ड से भी सहायता दी गई है ?

(ग) क्या बनी पार्क क्षेत्र में कोई हाई स्कूल बनने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सदस्य महोदय की जानकारी

Page No.21

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

के लिये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) बाल निकेतन, बनीपार्क को समाज कल्याण बोर्ड से सहायता दी जाती है ।

(ग) लड़कियों के लिये मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल की एक इमारत बनाने की योजना है, लेकिन कहां बनाई जावेगी, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : समाज कल्याण बोर्ड से संस्थाओं को सहायता देने के कोई रूल्स और रेगुलेशन्स हैं क्या और क्या इस संस्था को सहायता देने में इन शर्तों का पालन किया गया है या अपवाद करके सहायता दी गई है ?

श्री पूनमचन्द : वैसे रूल्स रेगुलेशन्स बने हुए हैं और समाज कल्याण बोर्ड वैसे मेरे अधीन नहीं है । मेरा तो शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्ध है । उनके बारे में पूछेंगे तो जानकारी दे सकूंगा । पर इसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि सहायता देने के लिये उनके रूल्स और रेगुलेशन्स हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : बनी पार्क में मल्टी पर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल की इमारत बनने वाली थी, इसकी योजना भी थी । इसके बाद में अब क्या स्थिति है ?

श्री पूनमचन्द : ऐसा है कि आदर्शनगर में भी इसके लिये जमीन मुकर्रर की हुई है और उधर बनी पार्क में भी है । उधर भी जरूरत है और इधर भी जरूरत कम नहीं है । इसलिये अभी तय नहीं कर पाये हैं कि बनी पार्क में यह इमारत बने या आदर्शनगर में ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि बिल्डिंग का काम शुरू भी हो चुका था और इसके बाद अब दूसरी जगह बनाने की बात सोची जा रही है ?

श्री पूनमचन्द (बिश्नोई) **:** ऐसी मेरे पास सूचना नहीं है ।

जवाई नदी पर पुल का निर्माण

१७. **श्रीं मोहब्बतसिंह** (सिरोही) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

शिवगंज व सुमेरपुर के बीच स्थित जवाई नदी (सिरोही जिले में) पर पुल अथवा रपट बांधने तथा पोसालिया नदी पर रपट बांधने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? इन कार्यों के पूरा होने में कितना समय व रुपया लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** जवाई नदी पर पुल व रपट बनाने के कार्य के टेन्डर मांगे गये हैं । पोसालिया नदी के पुल के लिये तखमीने बन चुके हैं और परीक्षण में हैं । काम आरम्भ होने के पश्चात् डेढ़-दो साल में समाप्त हो जावेगा ।

श्रीं मोहब्बतसिंह : काम आरम्भ कब होगा ?

श्रीं नाथूराम मिर्धा : अभी स्टेज बता दी मैंने आपको । एक का टेन्डर मांगा है और दूसरे का सर्वे हो चुका है और उस सर्वे के तखमीने का एग्जामिनेशन हो रहा है । इसके बाद इसके भी टेन्डर मांगे जावेंगे, वह पास होगा और इसके बाद में काम शुरू

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

होगा। इसमें डेढ़-दो साल का समय लग जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह : इसके एप्रूव होने में कितना समय लगना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस योजना से पहले-पहले इसे पूरा कर देंगे मेरे खयाल में।

झालावाड़ पुलिस द्वारा चावल के भरे ट्रकों का पकड़ जाना

१८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जुलाई सन् ५८ में झालावाड़ पुलिस द्वारा चोरी से आते हुए चावल से भरे ट्रकों को पकड़ा गया था ?

(ख) यदि हां, तो इन ट्रकों का नम्बर क्या था तथा इन ट्रकों में किन-किन फार्म्स का माल भरा था ?

(ग) सरकार ने इन तस्कर व्यापारियों तथा इस तस्कर व्यापार में सहयोग देने वाले व ट्रक मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) ट्रक नम्बर आर. जे. एल. ४४७६ के मालिक का नाम प्राप्त नहीं हो सका। ट्रक नम्बर ४१८६ एम. बी. श्री किशोरमल, पुत्र मदनजी, निवासी रामगंज मन्डी, डिस्ट्रिक्ट कोटा का चावल ले जा रहा था।

(ग) ट्रक नम्बर एम. बी के ४३६५...

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर सुन लीजिये। ट्रक नम्बर एम. बी. ४३६५ मध्य प्रदेश के एक भूतपूर्व सब-इन्सपेक्टर का चावल ले जा रहा था।

ट्रक नम्बर आर. जे. एल. ५०२३ एक प्राइवेट पार्टी का चावल ले जा रहा था।

(ग) राजस्थान में चावल का आयात-निर्यात अपराध नहीं है, इसलिये इनके चालान मध्य भारत में सौंप दिये गये। उनका चालान कर दिया गया, अधिक माल ढोने करने के बारे में और सब माल उनको दे दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्राइवेट पार्टी आपने बतायी है। उसका नाम नहीं मालूम हुआ क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो उस ट्रक को चलाने वाला था, उस ड्राइवर का क्या नाम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ट्रक के चलाने वाले का क्या नाम था, यह तो आप अलग से इन्फोर्मेशन चाहें तो मैं कलेक्ट करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कस्बा नापासर में हाई स्कूल

१८. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नापासर

(श्री भीमसेन)

जिला बीकानेर के निवासियों-ने-हाई-स्कूल निर्माण में ४०,०००) रु० तथा वहां के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनवाने के लिए सरकार को १०,०००) रु० नकद दिये ?

(२) क्या उक्त स्कूल में वहां के निवासियों की ओर से कॉमर्स तथा साइन्स वैकल्पिक विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था हेतु मांग विगत तीन वर्षों से चल रही है ?

(३) क्या यहां के निवासियों ने कॉमर्स के लिए चार टाइपराइटर मशीनें देने की जिम्मेदारी लिखित में अध्यक्ष तथा निरीक्षक, शिक्षा विभाग व जिलाधीश, बीकानेर को दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में इस वर्ष से कॉमर्स की पढ़ाई की व्यवस्था का विचार रखती है ?

उप **शिक्षामन्त्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए १०,०००) रु० नकद दिये हैं, मगर हाई स्कूल के निर्माण के लिए ४०,००० रु० नकद नहीं देकर कमरे बनाकर दिये हैं।

(२) जी हां।

(३) चार टाइपराइटर्स देने को कहा है परन्तु अब भी स्थानाभाव के कारण कक्षायें चालू नहीं की जा सकी हैं।

श्री भीमसेन : आप कहते हैं कि वहां स्थानाभाव है, मगर युनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार अगर प्राइमरी सेक्शन को अलग कर दिया जाये तो यह स्थानाभाव......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह जानकारी तो मुझे पहले से मिलती तो मैं आपको जवाब दे सकता था। मेरे पास तो अभी ऐसी कोई इन्फोर्मेशन नहीं है।

प्रश्न संख्या २०

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

जोधपुर से सूरसागर तक बिजली की लाइन

२१. **श्री सूरजमल** (फलौदी) क्या मंत्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या जोधपुर से सूरसागर तक बिजली की लाइन जाती है ?

(२) यदि हां, तो वहां पर कितनी बत्तियों के पॉइन्ट दिये हुए हैं ? उनका विवरण बताने की कृपा करें ?

उप-विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) ३७.

श्री सूरजमल : दूसरे सवाल का जवाब क्या है ?

श्री अध्यक्ष : ३७।

श्री सूरजमल : यह बिजली जहां कहीं भी लगाई जाती है वह किस आधार पर लगाई जाती है ?

श्री भीखाभाई : जहां म्युनिसिपल एरिया है वहां म्युनिसिपैलिटी अपनी मांग को विद्युत विभाग के पास भेज देती है और जब वह खर्चा देने के लिए तैयार हो जाती है तो वहां बिजली लगा दी जाती है।

श्री सूरजमल : पब्लिक की तरफ से या सरकार की ओर से लगाई जाती है ?

श्री भीखाभाई : म्युनिसिपैलिटी पैसा देती है, म्युनिसिपल एरिया के अन्दर बिजली लगवाने के लिए। जब पैसा वह दे देती है तो बिजली लग जाती है।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि जहां अधिक से अधिक आदमी एक जाति के रहते हैं वहां बिजली अधिक सप्लाई की जाती है ?

श्री भीखाभाई : यह सारा काम नगरपालिका का है। अगर किसी जाति के गरीब लोग हैं या आदिवासी वगैरह हैं, तो वह अपनी दरख्वास्तें समाज कल्याण विभाग को दे सकते हैं और इसके लिए उनको सहायता मिल सकती हैं और खर्चा पूरा हो सकता है।

श्री सूरजमल : मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां एक जाति के लोग कुछ रहते हैं वहां सरकार की ओर से अधिक बिजली सप्लाई की जाती है ?

श्री भीखाभाई : यह डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं नहीं है। जहां कॉमर्शियल विभाग होता है, वहां ऐसा नहीं होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पैसे वाले अपने आप ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

उप-शिक्षा निरीक्षक, भरतपुर जिला

२२. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) भरतपुर जिले में कितने उप-शिक्षा निरीक्षक हैं तथा उनके अधिकार में कौन कौन से माध्यमिक स्कूल्स दे रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त उप-शिक्षा निरीक्षकों के अधिकार में जो माध्यमिक शालायें हैं उनमें से अधिक से अधिक की दूरी कार्यालय से कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) दो। उनके अधिकार में जो जो माध्यमिक स्कूल हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) माध्यमिक शालाओं की दूरी भी इस सूची में बता दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ बहादुरसिंह : यह जो एक के अधिकार में २२ माध्यमिक शालायें हैं, उनमें १३ स्कूलों की दूरी है वह ११३ मील तक है। तो क्या उनका केन्द्र ऐसे स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिससे दूरी कुछ कम हो सके ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो भरतपुर जिले के नजदीक बताये हैं वह दूरी बढ़ जायेगी और जो धौलपुर में आ जाते हैं वह तो दूरी उतनी की उतनी ही रहेगी।

डॉ बहादुरसिंह : वह तो ९ हैं और यह १३ हैं जो ५५ से ११३ मील तक दूर पड़ते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ९ और १३ में तो ४ का ही फर्क है। लेकिन भरतपुर में इन्सपेक्टर भी रहता है, इसलिए अच्छा तो यह हो कि निरीक्षक और उप-निरीक्षक दोनों एक ही जगह पर रहें।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन यहां और कुछ दिन वहां आफिस रख दिया जाये ?

(कोई उत्तर नहीं मिला)

श्री सूबेदारसिंह : तो फिर तो इसे बीकानेर में भी रखा जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ६ तो नजदीक हो जायेंगे और १३ दूर हो जायेंगे।

श्री सूबेदारसिंह : धौलपुर डिवीजन के अन्दर मिडिल स्कूल ज्यादा हैं बजाय भरतपुर के। जब कि भरतपुर में केवल ६ ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यालय को धौलपुर में ही क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज़ से एक जगह है, इन्सपेक्टर जहां रहता है वहां डिप्टी इन्सपेक्टर हो तो ज्यादा सुविधाजनक होगा।

श्री सूबेदारसिंह : मैंने तो अर्ज कर दिया कि...

प्रश्न संख्या २३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री सज्जनसिंह।

नये बाँध, जिला बूंदी

२४. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या मंत्री सिंचाई विभाग निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) गत २ वर्षों में बूंदी जिले में लघु या मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने नये बांध बनवाये गये ?

(२) गत २ वर्षों में कितने नये बांधों की योजनायें जांच, सर्वे व एस्टीमेंट बनाकर स्वीकृत की गईं ?

(३) बूंदी जिले में ऐसी लघु व मध्यम सिंचाई योजनाओं की उपलब्धि की क्या संभावनायें हैं ?

(४) क्या सरकार के समक्ष बूंदी जिले के अन्तर्गत ऐसी संभवनीय सिंचाई योजनाओं की सूची कभी भेजी गई थी ?

(५) यदि हां, तो सरकार ने इनकी जांच करवाई या नहीं ?

उप-सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) गत वर्ष निम्नलिखित नये बांधों का काम हुआ :

मध्यम सिंचाई योजनाएं—

१. गुढा

२. बूंदी का गोटरा

लघु सिंचाई योजनाएं—

१. पाई वालापुरा

२. भीमलत

३. पैच की बावरी

४. तलवास।

(२) कोई नहीं।

(३) इस विषय में जांच जारी है, जिसके सम्पूर्ण होने पर ब्यौरा दिया जा सकता है।

(४) हां।

(५) हरीपुरा, रोनीजा, गोकलपुरा योजनाओं की सर्वे हो चुकी हैं और तखमीने बनाये

(श्री भीखाभाई)

जा रहे हैं, बाकी कामों की जांच भविष्य में की जावेगी।

श्री सज्जनसिंह : मैं यह पूछना चाहता था कि दो वर्षों के अन्दर बूंदी जिले में लघु या मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने नये बांध बंधवाये गये ?

श्री अध्यक्ष : आप (श्री सज्जनसिंह) यह जानकारी चाहते हैं कि दो साल के अन्दर कितने नये बांध बनवाने जारी किये। लेकिन क्वश्चन आपका है कि कितने नये बांध बनवाये गये, दोनों नये और पुराने सब बांध दिये।

श्री सज्जनसिंह : मैंने तो पूछा था कि गत दो वर्षों में कितने नये बांध बनवाये गये और कितने नये बांधों की योजनायें जांच, सर्वे व एस्टीमेट बनाकर स्वीकृत हुई हैं ?

श्री भीखाभाई : जो गुड़ा बांध टूट गया था उसकी दुरुस्ती हुई...

श्री श्रीभानसिंह : पहला प्रश्न बिलकुल साफ है कि दो वर्षों में कितने नये बांध लघु या मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत बंधवाये गये ?

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि इन बांधों पर काम हुआ और कुछ इन्वेस्टीगेशन्स हुए...

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन सवाल तो नये बांधों का है ?

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) **:** जो काम हुए हैं और जो खतम होने वाले हैं वे चार-चार साल भी चलने वाले हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मगर प्रश्न तो यह है कि कौन से दो साल के अन्दर समाप्त हुए और किन किन की योजनायें दो साल में शुरू हुईं ?

श्री भीखाभाई : I could not follow him.

श्री श्रीभानसिंह : He is not following the written letters also.

श्री पी० के० चौधरी : The question was very clear as to what and how many new schemes have been started during the last two years? That was the question.

श्री श्रीभानसिंह : What type of works are taken by the Government as medium works ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)**:** १० लाख से ऊपर वाले काम को मीडियम वर्क समझा जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government take medium works according to the expenditure or according to the area of irrigation commanded by them.

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) **:** Expenditure ?

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है। मैं लघु सिंचाई के बारे में पूछ रहा हूं, मीडियम के लिए नहीं पूछा है। १० लाख से नीचे की लागत वाले बांध इन दो वर्षों में कितने बन्धे हैं ? गुड़ा का जिक्र किया गया है वह ४५ लाख की लागत की सिंचाई योजना का बांध है। उसको इसमें किस तरह से सम्मिलित किया जा सकता है।

श्री भीखाभाई : सुनाई तो नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि दो साल के अन्दर जो नये बांध बांधे गये थे, वे बतलाये जाय। मैं यह कह रहा था कि दर असल में कोई पुराने बांध नहीं हैं, सब नये हैं। मेरी समझ में नहीं आया है कि दो साल से काम चल रहा है उसको ही मैं नया मानता हूं। वैसे पुराने १०, १५ साल के कोई बांध नहीं हैं जिनको कि हम पुराना कह सकते हैं। जो काम अधूरा था वह पूरा किया गया है।

(भोंपू की आवाज पर)

श्री अर्जुनदास : यह भोंपू बज रहा है इसलिए कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : वे उससे भी तेज बोल रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कल का भोंपू तो खत्म हो गया है और यह भी अभी खत्म हो जाने में है।

(हंसी)

बयाना व रूपबास तहसीलों में पत्थर की खानें

२५. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Mines and Geology Department be pleased to state :—

(1) Which individual or firm is authorised to work the stone quarries in Bayana and Rupbas tehsils of Bharatpur district ?

(2) In which year was the authority or the lease granted by the Government and for what period ?

(3) Is the Government contemplating to own and work these stone quarries itself ?

उप-उद्योग-मंत्री (शिव चन्द धारीवाल):

(1) M/s Tiwari Jhumerlal Swarooplal of Jaipur is authorised to work the stone quarries in both the Tehsils.

(2) In the year 1945 the lease was granted for a period of 10 years by the former Bharatpur State and it was renewed for a period of 5 years by the Rajasthan Government, as renewal was provided in the Agreement.

(3) There are no such proposals under consideration at present.

नये ठेकेदारों को पंजीबद्ध करने की राशि

२६. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम): Will the Minister for Public Works be pleased to answer the following :—

(a) Is it a fact that the amount of deposit demanded from contractors for registration has been increased in respect of those who want to be newly brought on the list of approved contractors ?

(b) If so, when was that done and what increase in the amount of deposit has been made ?

(c) What is the deposit required from those who are already enrolled as approved contractors ?

(d) Is it a fact that this increase will reduce competition ?

(श्री अर्जुनदास)

(e) If so, when does the Government propose to remove this discrimination ?

(f) Is it a fact that the present policy of Government has excluded other Indian nationals (non-Rajasthanis) from bidding for the public works of Rajasthan ?

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) No.

(b) Question does not arise.

(c) No further deposit is required from those contractors who are already approved.

(d) Question does not arise.

(e) Question does not arise.

(f) No.

जोधपुर इन्जीनियरिंग कॉलेज

२७. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष जोधपुर इन्जीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या क्या है ?

(२) उक्त संस्था में राजस्थानी छात्रों का अनुपात क्या है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):
(१) २६७ डिग्री कक्षा में। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के द्वितीय व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र जो अब भी इसी कालेज में हैं उनकी संख्या १६४ हैं।

इसी प्रकार शोर्ट टर्म ओवरसियर कोर्स के छात्रों की संख्या ५५ है।

पोलीटेक्निक में छात्रों की संख्या १७३ है जो कि इस समय इन्जीनियरिंग कॉलेज भवन, जोधपुर में ही स्थित है।

(२) ७८ प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-समय समाप्त हुआ।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

१२. ५. म० प०

विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जालौर निर्वाचन क्षेत्रसे राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, श्री हन्साराम ने राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से ता० २ जून, १६५८ के मध्यान्होत्तर से त्यागपत्र दे दिया है।

अन्तःसत्र-काल में सदस्यों की गिरफ्तारी

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित सदस्यों को अन्तःसत्र-काल में गिरफ्तार किया गया था :

(१) श्री महेन्द्रसिंह, अजमेर,
(२) श्री मुक्तिलाल मोदी ,
(३) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,
(४) श्री मदनसिंह दांता और
(५) श्री मुरलीधर व्यास।

इनमें से बाद में प्रथम चार माननीय सदस्यों को, अर्थात् श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर), श्री मुक्तिलाल मोदी, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री मदनसिंह दांता को रिहा भी कर दिया गया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दो विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं ; एक तो श्री लच्छूराम द्वारा भेजा गया है और दूसरा श्री श्रीमानसिंह द्वारा। चूंकि ये पत्र बहुत देरी से आये हैं, इसलिए इन पर विचार किया जाकर बाद में निर्णय दिया जायगा।

स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव श्री श्रीमानसिंह ने भेजा है, जो इस प्रकार है :

"This House do now adjourn to discuss the miserable plight of starving and diseased men and Live stock and devastated properties of the flood striken area of the Bharatpur District, because of the want of adequate Government measures or quick and permanent relief, rehabilitation, prevention and cure of disease in men and Live stock of the area".

यह प्रश्न ऐसी घटना के संबंध में है, जोकि कुछ पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी माननीय राजस्व मंत्री महोदय इस पर ता० २७ अक्टूबर को एक स्टेटमेंट देंगे और स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा इसलिए प्रदान नहीं की जाती है।

१२. ७. म. प.

सदन की मेज पर रखे गए अध्यादेश

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (एट्थ-एमेन्डमेंट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (सेकन्ड एमेंडमेंट)' ऑर्डिनेन्स १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोलोनाइज़ेशन (एमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (नाइन्थ एमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री); अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (एमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (एमेंडमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (एमेंडमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स एसैसमेन्ट एण्ड रिकवरी वेलिडेटिंग ऑर्डिनेन्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

१२. ६. म० ५०

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति

श्री अध्यक्ष : श्री सचिव ।

श्री सचिव (श्रीधर्मेन्द्र परिहार): राजस्थान विधान सभा) : मैं सदन की मेज पर गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखता हूँ ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई :

(1) The Rajasthan Haq-i-Malikana Abolition Bill, 1957.

(2) the Motor Vehicles...

श्री मूलचन्द डागा : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री सचिव : The Rajasthan Haq-i-Malikana Abolition Bill, 1957.

(2) The Motor Vehicles (Bombay Amendment) Repealing Bill, 1958.

(3) The Mewar Shishu Hitkarini Shbha Decrees (Enforceability) Bill, 1957.

(4) The Rajasthan Cash Jagirs Abolition Bill, 1958.

(5) The Rajasthan Habitual Offenders (Amendment) Bill, 1958.

(6) The Rajasthan Shops and Commercial Establihment Bill, 1957.

(7) The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amedment Bill, 1958.

(8) The Industrial Disputes (Rajasthan Amedment) Bill, 1958.

(9) The Rajasthan Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958.

(10) The Rajasthan Registration of Births, deaths and Marriages Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई :

(1) The Rajasthan Provisional Collection of Taxes Bill, 1958.

(2) The Rajasthan Excise (Amendment) Bill, 1658.

(3) The Rajasthan Pensions Bill, 1958.

(4) The Rajasthan Societies Registration Bill, 1957.

(5) The Rajasthan Mica Bill, 1958.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन बिलों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की सेन्क्शन होती है उन्हें देखने का माननीय सदस्यों को अधिकार है और वे हमारे सामने एवेलेबल हो सकते हों देखने के लिए ऐसी जगह रखे जायं...

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल से जिन विधेयकों पर अनुमति मिलती है वे यहाँ पर रहते हैं ।

श्री तनसिंह : जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, वे यहाँ पर क्यों नहीं रहते ?

श्री अध्यक्ष ; वे सरकार के पास रहते हैं और हम लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि उन्हें हमारे सेक्रेटेरियेट में रहने दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों को सुविधा रहे देखने-करने के लिये।

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जिन अध्यादेशों पर स्वीकृति दी गई है वे हमारे यहाँ सदन की मेज पर आये ही नहीं हैं तो उनको इस कार्यक्रम के साथ रखना ही व्यर्थ है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला विचाराधीन है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही कोई हल निकलेगा।

१२. ११. म. म.

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ :

(१) राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८.

(२) राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५८.

(३) राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८,

१२. १३. म. प.

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारण के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व (प्रथम संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु (प्रथम संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान कोलॉनाइज़ेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोलॉनाइज़ेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण(नवम् संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (नवम् संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमीजियेरीज़ एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टर-मीजियेरीज़ एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय !

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भू-धारण (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्तव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक

(श्री अध्यक्ष)

को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रनान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करनेकी आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान भू-धारण (पांचवां संशोधन) विधेयक, १६५८

श्रीदामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान मेटर्निटी बेनीफिट (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मेटर्निटी बेनीफिट (संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भिक्षा-वृत्ति निवारण विधेयक, १६५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भिक्षा वृत्ति निवारण विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करता हूँ।

१२-१८ म. प.

राजस्थान भू-राजस्व (प्रथम संशोधन) विधेयक, १६५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (प्रथम संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसकी कॉपीज़ नहीं मिलीं ?

श्री अध्यक्ष : I am told that all the copies were circulated.

श्री श्रीभानसिंह : I did not receive the copy and therefore I am submitting to the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : You should have taken from the office.

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक के बारे में माननीय मंत्री कुछ बता दें ।

श्री श्रीभानसिंह : यह विधेयक कब इन्ट्रोड्यूस हुआ और कब इसकी कॉपीज़ सर्क्युलेट हुई ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इसको विचारार्थ लिया जाय, इसके सपोर्ट में कुछ बता दें तो मालूम पड़ जायगा ।

श्री तनसिंह (बाडमेर): वह बिल है, इसमें जयपुर की जगह अजमेर का अमेन्डमेंट किया है, लेकिन जब राव कमेटी की सिफारिश पिछले सेशन में एप्रूव नहीं हुई थी तो यह विधेयक पिछले सेशन में पुरःस्थापित नहीं हो सकता था, फिर कैसे इसे विचारार्थ लिया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया है कि गवर्नमेंट को ऑर्डिनेन्स बनाना पड़ा, ऑर्डिनेन्स बन गया है और वह गजट में पब्लिश कर दिया गया है ।

श्री श्रीभानसिंह : But the Bill has first to be introduced in the House, Sir.

श्री तनसिंह : That must be introduced and that it must be considered.

श्री श्रीभानसिंह : If it has not been introduced we connot discuss ilfhit.

श्री अध्यक्ष : There is no bar to that.

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir, I will draw your attention to the Rules. The Bill has not been introduced and the Hon. Mininster will agree that the Bill he is considering has not been introduced. Since it was issued as an Ordinance he has taken it as such but this is ......

श्री अध्यक्ष : He says that this has been issued in the Gazette.

श्री श्रीभानसिंह : I will draw your attention to Rule 98 on page 40... "Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for clear days ..."

श्री अध्यक्ष : I understand your objection is about the Circulation.

श्री श्रीभानसिंह : After the introoduction there must be 3 clear days to be discussed in the House, this is my submisssion.

श्री अध्यक्ष : Which rule you are quoting ?

श्री श्रीभानसिंह : Rule 98 on page 40.

Page No.36

श्री अध्यक्ष : But the copies have been made available. They were sent by the office long back.

श्री दयाकृष्ण विजय : आज इन्ट्रोड्यूस हुआ है तो तीन दिन बाद में डिस्कस होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास ; So far as the question of circulation is concerned I am told that they were circulated on 10 th October. So the Hon. Member can have no objection to it.

श्री श्रीभानसिंह : I have already submitted in very clear terms to the Hon. Speaker. The Bill has been introduced to-day. I must have 3 clear days for the discussion.

श्री दामोदरलाल व्यास : You want to postpone it.

श्री अध्यक्ष : कॉपीज़ सब माननीय सदस्यों को डाक द्वारा १० तारीख को भेज दी गई थीं, किसी को मिली या नहीं, यह आप जान सकते हैं। यहां से बहुत पहले, सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के १४-१५ दिन पहले भेज दी गई। फिर भी आप चाहें कि दो दिन का मौका दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि यह ऐसा मामला नहीं है। आप इसे, कॉपी मिलने के बाद समझ सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I will appreciate. I am willing to appreciate that, but I don't have a copy even now.

श्री अध्यक्ष : That I can do just now. I can make it available to the Hon. member just now.

रावराजा श्री सरदारसिंह : बात यह है कि जयपुर के नाम को मिटा रहे हैं और अजमेर का नाम हो रहा है।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसलिए तीन दिन बाद मिटायें, साहब।

श्री अध्यक्ष : इसलिये यदि इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। (विराम) कोई जयपुर वाला खड़ा नहीं हो रहा है ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ, उसका कारण यह है कि इस बिल के द्वारा जो राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड था वह पहले जयपुर में था, अब इस बिल के द्वारा वह बोर्ड अजमेर में रख दिया है। वैसे तो इस विषय में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है और इस विषय में राव कमेटी की रिपोर्ट भी स्पष्ट थी। मैं यह भी कहने की स्थिति में नहीं हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है उस सिलसिले में मुझे निवेदन नहीं करना चाहिए। मुझे निवेदन यह करना है कि सैद्धान्तिक तरीके पर, सैद्धान्तिक तौर से जिस प्रकार राव कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया है वह उपयुक्त नहीं है। कारण यह है कि जब एक बार असेम्बली के सामने, सदन के सामने कोई बात विचारार्थ रखी गई, उसके बाद सदन की सम्पूर्ण राय ले ली गई, फिर कोई आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की बात किसी और कमीशन द्वारा तय करायी जाती। जब राव कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ रखी गई तो उस पर कोई निर्णय लेने के पूर्व असेम्बली को कॉन्फीडेन्स में लेने की आवश्यकता थी। मैं नहीं समझ सकता कि क्या परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों से मजबूर

Page No.37

(श्री तनसिंह)

होकर गवर्नमेंट ने असेम्बली की अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। मैं यह नहीं कहता कि अजमेर में रेवेन्यु बोर्ड नहीं होना चाहिए, मैं यह भी नहीं कहता कि वह जयपुर में रहना चाहिए लेकिन जिस तरीके से काम हुआ है, वह तरीका उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें इस बिल को पास न करके गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहिये, जिससे वह आइन्दा इस प्रकार कोई रिपोर्ट हमारी राय लिये बिना हम पर थोपे नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : अभी प्रोसीजर तय नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने क्या एतराज किया; रेवेन्यु बोर्ड रहे या न रहे? What is his opinion about this,

राव कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन नही हो रहा है, सवाल यह है···

श्री श्रीभानसिंह : How can we form opinion when yon have not made the copies available.

श्री तनसिंह (बाड़मेर): यदि मंत्री महोदय समझ नहीं पाये तो इसमें मेरा दोष कम है। सम्भव है मेरा एक्सप्रेशन कमजोर हो। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो उलट-फेर होती है उससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। मैं सिद्धान्त के विरोध में हूं। जिस तरीके से राव कमेटी की सिफारिश को लिया गया और जिस तरह सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया गया और हमारी राय लिये बिना निर्णय किया गया, उसके विरोध में मैं हूँ। आप इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, वैसे तो इस लेट स्टेज पर इस क्वेश्चन को री-ओपन करना, जो आलरेडी डिसाइड हो चुका है और गवर्नमेंट ने यहां से रेवेन्यु बोर्ड को अजमेर भेज दिया है, शायद कुछ ऐसा होगा, इस सम्बन्ध में कुछ कहना भी ऐसा होगा और उसके आर्ग्युमेंट भी ऐसे होंगे जिसके लिए कहा जाय, that will fall in deaf ears but even then देरी से अटेम्प्ट किया जाय और फिर अगर रेवेन्यु बोर्ड यहां रह सके और फिर राजस्थान की जनता को सुविधा मिल सके, इसलिए मैं थोड़ा फिर गवर्नमेंट का ध्यान कुछ आर्ग्युमेंट्स की ओर दिलाना चाहूंगा। यह हो सकता है कि राव कमेटी ने कुछ रीजन्स दिये जिनके कारण रेवेन्यु बोर्ड को और जयपुर बैंच को और कुछ और दफ्तरों को यहां से शिफ्ट कर दें, उनको डिसेन्ट्रलाइज कर दीजिये या इसे अजमेर की डिमान्ड चाहिये कि जब अजमेर को मर्ज किया गया, तब अजमेर के मर्जर के समय अजमेर वालों ने बार्गेनिंग किया हो कि कुछ ऑफिसर्स यहां होने चाहिए, उसको पूरा करने के लिऐ रेवेन्यु बोर्ड को अजमेर भेजा। ठीक है, मगर अब जब रेवेन्यु बोर्ड अजमेर के अन्दर है, लेकिन उसके लिए हाउसिंग फेसिलिटी नहीं है, कहां दफ्तर हो, किस तरह से हो, इसका कुछ पता नहीं लेकिन उसको एक दम आपने अजमेर भेज दिया। इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से रेवेन्यु बोर्ड और जयपुर बेंच की सिफारिश को इम्प्लीमेंट किया है, उससे मैं संतोष जाहिर नहीं कर सकता। यह ठीक है कि राव कमेटी की रिपोर्ट को होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर रेवेन्यु बोर्ड और हाई कोट की बैंच को हटाने के लिए पहले आपको

(श्री श्रीभानसिंह)

पब्लिक ओपीनियन क्रियेट करनी चाहिए। जो नोन-वॉयलेन्स जयपुर में हुआ, उसको मैं प्रोत्साहन नहीं देता, मगर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर रखता हूँ, उस पोलिटिकल पार्टी पर जिम्मेदारी रखता हूँ जिसके पास मशीनरी होते हुए, जिस पार्टी के एक सदस्य पी.सी.सी. के अध्यक्ष होते हुए भी पब्लिक ओपीनियन क्रियेट नहीं कर सके; जनता को, मास को कॉन्टेक्ट करके समझा नहीं सके कि रेवेन्यु बोर्ड और जयपुर बेंच को हटाने से किसका हित है। यह एक पोलिटिकल मिस केल्कुलेशन है, पोलिटिकल ब्लन्डर है, क्योंकि जयपुर बेंच और रेवेन्यु बोर्ड को हटाने पर जितना पब्लिक ओपीनियन को नुकसान हुआ है, वह किस बात को दिखाता है? वह दिखाता है कि जो पोलिटिकल पार्टी है, वह सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है, वह पब्लिक ओपीनियन क्रियेट नहीं करना चाहती। यह पार्टी चाहती है कि इम्प्लीमेंटेशन में पब्लिक एसोसियेट न करे। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मानना चाहिए, लेकिन पब्लिक ओपीनियन क्रियेट करनी चाहिए जिससे परमानेन्ट सेटलमेंट हो। सब कुछ होते हुए भी होम मिनिस्ट्री निश्चय करती है और राजस्थान गवर्नमेंट रेवेन्यु बोर्ड और जयपुर बेंच को एक दम भेज देती है। मैंने अभी तक ऐसा डेमोक्रेसी का फंक्शन नहीं देखा जिस तरह से यहां चल रहा है, जिस तरह से इसको चला रहे हैं, मैंने ऐसा वर्ल्ड के अन्दर नहीं देखा। यह स्टैप लिया, वह इसलिए लिया कि राजस्थान पूरा एक हो और जो पोलिटिकल पार्टी है वह बढ़ सके, सर्वाइव कर सके, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान जिसके रिप्रजेन्टेटिव इस लेजिस्लेचर में भी हैं, नेगलेक्टेड हैं। ईस्टर्न राजस्थान के मेम्बर होते हुए इस मामले में इतनी जल्दी न करके पब्लिक को समझाते और पब्लिक के आर्ग्युमेंट्स जानने चाहिए थे, पब्लिक को समझाते कि रेवेन्यु बोर्ड और जयपुर बेंच को हटाना उनके लिए हितकर है, राजस्थान के लिए हितकर है। इसमें अगर साल भर भी चल जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र रिकमन्डेशन में नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने यह नहीं कहा था कि आप एक दम इम्प्लीमेंट कीजिये। उसने कहा था कि ये रिकमन्डेशन्स हैं, हम उसको मानते हैं और इनके इम्पलीमेंटेशन की रेस्पोन्सिबिलिटी राजस्थान गवर्नमेंट की है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन हरीडली किया है, मैं देखता हूँ कि कहीं कोई वीकनेस थी। डेमोक्रेसी के अन्दर जिस तरह से प्रोग्राम या पोलिसी इम्प्लीमेंट होती है पहले उसके लिए ग्राउन्ड्स क्रियेट किये जाते हैं।

हमने कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश की, लेजिस्लेचर में डिस्कशन कराया गया, ये दो स्टैप्स लिये, फिर भी वाइडर सर्कुलेशन नहीं हुआ। होम मिनिस्टर साहब जयपुर के हैं, रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जयपुर के हैं, उनको जयपुर में भाषण देने चाहिये थे और जयपुर के सिटिजन्स को समझाना चाहिये था कि यह सब आपके लिए हितकर है। अगर महीने, दो महीने में नहीं समझा सकते थे तो १२ महीनों में समझाते और इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए पब्लिक ओपिनियन को राइप करते। अगर ऐसा करते तो जो वायोलेंस हुआ, जो पब्लिक प्रोपर्टी का डेस्ट्रक्शन हुआ वह पब्लिक मनी बचा रहता। लेकिन पब्लिक ओपीनियन को राइप किये बिना हरीड इम्प्लीमेन्टेशन हुआ, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ और आज मैं निश्चय के

Page No.39

(श्री श्रीमानसिंह)

साथ कह सकता हूं कि कान्फीडेन्स इश्यू बना कर जयपुर में कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ सकती, यही रूरल एरिया का रहेगा । हम लोगों को एसोसियेट नहीं किया गया, हम लोग अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सीज में जाकर प्रचार करते कि यह इस तरह का डिसिजन ठीक है, अपने लिये अच्छा डिसिजन है । कांग्रेस में हर तरह के लीडर्स हैं, एज्यूकेटेड हैं, कॉंग्रेस पार्टी के पास हर तरह के प्रोपेगेन्डा के साधन हैं, पर यह कहीं-नहीं देखा गया, एक ने भी नहीं समझाया जयपुर की पब्लिक को कि यह जयपुर के लिये हितकर है, पन्तजी का यह डिसिजन है वह ठीक डिसिजन है । पर हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर ने टोंक में जाकर यह नहीं कहा कि यह डिसिजन ठीक है, होम मिनिस्टर साहब ने भी यह तकलीफ नहीं की कि अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में लोगों को समझाते, एक महीने में नहीं तो दो महीनों में, तीन महीनों में जयपुर के लोगों को समझाते । अगर ऐसा करते तो इतना पब्लिक मनी का डेस्ट्रक्शन हुआ वह नहीं होता । पर रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जोधपुर हैं, तो होम मिनिस्टर साहब कहीं दूसरी जगह । पब्लिक ओपीनियन को राइप किया जाता है तब कहीं कोई चीज को इम्प्लीमेन्ट किया जाता है । रेवेन्यु बोर्ड गया, अब आप उसको वापिस नहीं ला सकते, जो पब्लिक मनी वेस्ट होती है; ऑफीसर्स को, स्टाफ को जो असुविधा वहां है, लोगों को वहां जाने में जो कठिनाइयां होती हैं, मैं अपना रिजेन्टमैन्ट हाइएस्ट क्वार्टर्स तक जाहिर करूंगा कि पब्लिक ओपीनियन को एसोसियेट नहीं किया गया । डेमोक्रेसी को ठीक तरह से यहां फंक्शन करना चाहते हैं तो पब्लिक ओपीनियन को राइप करना होगा और फिर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा । इम्प्लीमेन्ट इसलिये करना चाहेंगे कि मेरे पास पुलिस है, मिलिटरी है, यह डेमोक्रेसी नहीं । जो दृश्य जयपुर में हुए उन्हें कोई बाहर का आदमी आकर देखता, तेरहवीं शताब्दी का आदमी आकर देखता तो कहता कि हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं होता था जबकि मोनार्क बड़े क्रूअल थे । लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने में अध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे, मैं कॉम्प्रिहेन्सिवली डील कर रहा हूँ, पुलिस अपनी ड्यूटी करती है पर पब्लिक का पुलिस पर कॉन्फीडेन्स नहीं है । विलायत में जाइये, एक पुलिसमैन को गाइड, फ्रेण्ड एण्ड फिलोसोफर समझते हैं और यहां पर पुलिस मैन को पब्लिक हेट (hate) करती है । जहां पुलिस फोर्स से लॉ एन्ड ऑर्डर मैन्टेन करना चाहते हैं वहां पब्लिक का कोई आदमी नहीं कहेगा कि पुलिस मैन अच्छा है, क्योंकि आप उनसे ड्यूटी लेते हैं, लॉ एन्ड आर्डर मैन्टेन कराते हैं । जब पब्लिक में पुलिस के द्वारा लॉ एन्ड ऑर्डर मैन्टेन कराते हैं तो पब्लिक समझती है कि रेवेन्यु बोर्ड पुलिस ने हटाया, जयपुर बैंच (हाई कोर्ट की बैंच) को पुलिस ने हटाया यह इम्प्लीमेन्टेशन पुलिस कर रही है । ४०-४५ रुपया माहवार जो लेता है वह इम्प्लीमेंटेशन करता है, पब्लिक को चैक करता है, लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करता है । यही कारण है कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म में जो रिलेशन्स पुलिस और पब्लिक के बीच में थे वही आज हैं । एक भी आदमी की ओपिनियन पुलिस के बारे में अच्छी नहीं है । डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिये पुलिस भेजें तो दे डिस्चार्ज देअर ड्यूटीज । तो पुलिस वालों को भेजा गया, तो दे वर डिस्चार्जिंग देअर ड्यूटीज, उधर से मौब उन पर वायोलेंस करती है, तो लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने का जितना बर्डन, इम्प्ली-

(श्री श्रीमानसिंह)

मेंटेशन का बोझा था, नुकसान का जितना बोझा था वह सब राजस्थान सरकार पर था, वह सब पुलिस को मिला। आज कोई भी यह नहीं देखता कि पुलिस हमारी जान-माल की हिफाजत करती है, यह पुलिस के लिए कोई नहीं सोचता, जितनी बुराइयां हैं पुलिस पर रहती हैं। डेमोक्रेसी में पुलिस को आज पीपुल का गाइड, फ्रेन्ड एन्ड फिलोस्फर नहीं समझते। यह समझते हैं कि कहां गवर्नमेंट रॉंग डिसीजन लेगी हमको मारने-पीटने, मार–काट करने के लिये पुलिस को भेजेगी। तो पुलिस और जनता के रिलेशन आपको करेक्ट करने चाहिये, आपको यह समझाना चाहिये कि पुलिस आप ही की है, पीपुल और पुलिस के रिलेशन चेन्ज करने चाहिये। जो कोर्डियेलिटी पुलिस और पब्लिक में आनी चाहिये वह नहीं आई है। जहां ये दोनों कॉर्डियली डील नहीं करेंगे वहां डेमोक्रेसी अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगी, एक दूसरे की हेल्प नहीं रहेगी। एक पुलिस मैन को भेज कर पब्लिक से कहेंगे कि हमको चोर पकड़वाइये, तो एक भी पब्लिक मैन मदद नहीं करेगा, वह यही सोचेगा कि कहीं फंसा नहीं दे। इन दोनों के रिलेशन्स में जो यह डिटेरिओरेशन आया है इसकी वजह यह है पब्लिक ओपिनियन के राइप किये बिना हरीड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले तो आपको पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करना चाहिये और पब्लिक ओपिनियन के राइप होने पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिये। इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है आपने एक गुड एक्ट को खराब बना दिया। हाइयर लेवल के लोगों ने डिसीजन लिया, पर इम्पलीमेंटेशन का जहां तक सवाल है इसके लिए आपका जिम्मा था, आपको चाहिये था कि आप भरतपुर, धौलपुर सभी जगह जाते, वहां पर भाषण करके लोगों को समझाते और पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करते और पब्लिक ओपिनियन के राइप हो जाने पर इम्प्लीमेंटेशन करते, तो पब्लिक और पुलिस के रिलेशन्स में डिटेरियोरेशन आया है वह नहीं आता। हरीड इम्प्लीमेंटेशन की बजाय पब्लिक ओपिनियन को राइप करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते तो यह वायोलेंस और पब्लिक प्रोपर्टी का, पब्लिक मनी का डेस्ट्रक्शन हुआ वह न हुआ होता।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक यह संशोधन है मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह प्रश्न केवल रेवेन्यू बोर्ड से ही संबन्धित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जिस प्रकार से उठाए गये और जिस प्रकार से उनको सुलझाया गया है, उसने दुविधाएं पैदा कर दी हैं। हमारी राज्य सरकार ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों के पीछे यह दयनीय स्थिति पैदा कर दी है। जहाँ तक हम देखते हैं कि अपने देश के अन्दर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसने राज्य की सीमाएं, राजधानी आदि के प्रश्नों को तय करने के लिये अपना जो अंतिम निर्णय लेना चाहा लिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमारे देश में एक अहम प्रश्न था। इतने बड़े प्रश्नों को ४ बड़े नेता मिलकर तय करते हैं, इस पर हमें विचार करना है। वे लोग यह तय करते हैं कि राजधानी कहां रहे, हाई कोर्ट कहाँ रहे, रेवेन्यू बोर्ड कहाँ रहे आदि। इन मामलों को केवल ४ बड़े नेता मिलकर तय करते हैं जिसमें एक तो वर्तमान मुख्य मंत्री और एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री। इन चारों व्यक्तियों ने सारे राजस्थान का ठेका लेकर इन बातों को तय कर लिया। उसके बाद में यह प्रश्न राजस्थान विधानसभा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में आया। उस पर किस प्रकार का रि-एक्शन हुआ, यदि उस सम्बन्ध में उस समय निर्णय लेते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटित होती। हमने मांग की और उस क्षेत्र के विधान सभाइयों ने मांग की कि आन्दोलन चल रहा है उसको दबाने का यह तरीका नहीं है, पंत हमारे निर्णायक पंच नहीं हैं। हो सकता है वे आपके निर्णायक पंच हों। पंत का निर्णय मान्य नहीं है। वे देश के गृहमंत्री के नाते बड़े हो सकते हैं। वे केवल पार्टी के नेता के कारण आये और पार्टी के नेता से सब पक्ष सम्मिलित नहीं कहे जा सकते। हमने इस बात की मांग की कि विधान सभा इस प्रश्न को मिलकर तय करे और इसके लिये अधिवेशन बुलाया जाए कि हाई कोर्ट कहाँ रहे, राजस्व बोर्ड कहाँ रहे। लेकिन राजस्थान विधान-सभा के सदस्यों की इस संबन्ध में एक प्रकार से उपेक्षा करके राज्य सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया। इस प्रकार के अधिकार हमको न देकर हमारी राज्य सरकार ने इस प्रकार की जिम्मेदारी लेकर जो कार्य किया है, मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह तानाशाही है। पाकिस्तान में तानाशाही हुई तो मंत्रियों के दरवाजों पर पहरा लगा। मगर उस समय हमारे यहां के मंत्रियों के पहरा उस तरह से तो नहीं लगा, लेकिन उनको डर जरूर था, वे सड़कों पर बाहर नहीं आते थे; सिविल लाइन में, दूर रहते थे। इस प्रकार नेता वर्ग बन गया।

आज जो इस प्रकार का संशोधन लाया गया है, इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि अच्छा होता, अगर सारे के सारे मूल रूप में बना कर हमारे सामने रखते। आज उनकी पार्टी में उनका बहुमत है, उनका उनको समर्थन मिलता और दूसरों का विरोध भी मिलता। रेवेन्यु बोर्ड अजमेर जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। मगर जिस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इस समय हमारे मुख्य मंत्री और होम मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि आप मसले को यहां पर रखते तो हाई कोर्ट या रेवेन्यु बोर्ड यहां पर रहते या नहीं, यह एक प्रथम प्रश्न है; आपको चाहिये था कि आप पब्लिक में आकर बताते कि यह चीज है। केवल पब्लिक को डंडे के बल पर हांकना यह कोई प्रजातन्त्र नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण विषयों के रूप विधान सभा में बैठ कर तय करें। रेवेन्यु बोर्ड की बैठक का निर्णय राव कमेटी की सिफारिशों में से एक सिफारिश है। यह एक कानूनी मसला आया उसको आप विधान सभा में लाए हैं। बाकी के मसलों को एग्जीक्युटिव से हमारी सरकार हल करना चाहती है, यह ठीक नहीं है। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मसलों को केवल एग्ज़ीक्युटिव के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिये, सब प्रश्नों को यहां पर लाना चाहिये; केवल पार्टी के नेता और बहुत बड़े नेता के निर्णय से यह नहीं होना चाहिये। पंत आपकी पार्टी के बहुत बड़े और प्रतिष्ठित नेता हैं।

मैं एक बार फिर सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार केवल इस प्रश्न को ही यहां पर लाई है, उसी तरह से दूसरे प्रश्न भी यहां पर लाने चाहिये। जहां तक अजमेर में रेवेन्यु बोर्ड ले जाने का प्रश्न है मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि जयपुर की जगह अजमेर किया जावे। इसमें राजधानी कहां पर जाए, हाई कोर्ट कहां रहे,

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

यह प्रश्न नहीं है। इसके अलावा यह प्रश्न भी नहीं है कि पब्लिक ओपीनियन ली जावे कि हाई कोर्ट कहां रहे; जैसा कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है। यह प्रश्न एक राज्य की प्रजा का नहीं था, यह दो राज्यों का प्रश्न था। जब अजमेर और राजस्थान का विलीनीकरण हुआ तो अजमेर की प्रजा की जो सरकार थी और राजस्थान की प्रजा की सरकार थी-उन दोनों सरकारों में मतभेद था कि राजधानी, हाई कोर्ट और रेवेन्यु बोर्ड कहां रखे जावें। इसके लिये अगर प्रजा का मत जानने के लिए कहा जाता है तो मैं यह कहूंगा कि यह एक गलत तरीका है, लेकिन जहां पर दो राज्यों को सम्मिलित करने का प्रश्न है, वहां दो राज्यों के मंत्रियो या पंचों का ही निर्णय होगा। जहां दो राज्यों का विलीनीकरण हो तो ऐसी स्थिति में जब दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा कोई चीज का निर्णय नहीं किया जाए तो उसके लिये पंच मुकर्रर किया गया, उसके लिये राव समिति मुकर्रर की गई और उसके लिये दोनों सरकारों का समर्थन राव कमेटी को था। ऐसी स्थिति में राव कमेटी ने अपना निर्णय दिया। यह दो राज्यों का झगड़ा था, इसलिये ऐसी स्थिति में राव कमेटी ने जो राय दी उस पर अमल किया गया। यह कोई जोधपुर, जयपुर, अजमेर आदि का झगड़ा नहीं था, इसलिये यह कहना कि राय नहीं ली और यह कहना कि राजस्थान विधान सभा में उसको क्यों नहीं लिये, उचित नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा में जब जयपुर में राजधानी कायम की गई थी, इस प्रश्न को नहीं लाया गया था।

('उस समय विधान सभा नहीं थी' की आवाज)

उसके बाद भी विधान सभा हुई, मगर उसके बाद कभी भी यह प्रश्न नहीं आया। अब अगर आप इस प्रश्न को वापिस उठाना चाहते हैं तो अजमेर के पक्ष में ज्यादा वोट मिल सकते हैं। मगर यह एक भारत सरकार के निर्णय की बात थी और राज्य सरकारों ने उसको माना। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत हो जाता है। अब तो प्रश्न यह है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई और सिफारिश आई है और जो काम हो चुका है और कानून में संशोधन आया है, उसको मानना या नहीं मानना, यही प्रश्न रह जाता है। इसलिए जयपुर की जगह अजमेर का प्रश्न है, वह बिल्कुल उचित है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से यह सवाल जल्दी में तय हो रहा है वह वास्तव में विचारणीय विषय है। जैसा कि रेवेन्यु बोर्ड के वास्ते अभी प्रश्न हमारे सामने आया, इस प्रश्न के बारे में विधान सभा के अन्दर यह प्रश्न तय होकर कि फिर उस पर विचार होता तो ज्यादा अच्छा रहता। जिस जिस प्रकार के विचार इस बारे में व्यक्त किये गये वे गम्भीर विषय हैं जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जिन विचारों को व्यक्त किया है मैं भी उससे सहमत हूँ। जहां तक इस रेवेन्यु बोर्ड को अजमेर ले जाने का सवाल है उसके बारे में आज पहले ही दिन विचार करना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि आज प्रथम दिन है इस सभा का। पहले मीटिंग के दिन बहुत माननीय सदस्य उपस्थित भी होते हैं और कुछ नहीं भी आते, इसलिये ऐसे प्रश्न को उस समय रखना चाहिये। ऐसे प्रश्न को जल्दी में तय करना मैं उचित नहीं मानता। केवल मात्र राजधानी के रहने से ही जयपुर का भला नहीं हो सकता। जयपुर तो जो बड़

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

के पेड़ के समान था उसको आपने अब खजूर के पेड़ के समान रख दिया है, वह खजूर के पेड़ के समान बहुत हल्का हो चुका है, इसके जो बड़े अंग हैं वे दूसरी जगह भेज दिये हैं, वे खत्म हो चुके हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि इतनी सारी चीजें जो यहां से बाहर भेज दी गई हैं वे यहां रह जाती और राजधानी नहीं रहती तो वह इतना अशोभनीय नहीं होता। राजधानी तो सिर्फ इसलिये रखी गई है कि जो साधन यहां उपलब्ध हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, वे दूसरी जगह उपलब्ध नहीं हैं। जैसे कि यहां हाईकोर्ट की बैन्च का प्रश्न था वह केवल राजस्थान का प्रश्न नहीं था। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है जहां हिन्दुस्तान में अन्य जगहों पर बेन्चेज थीं, जैसे कि राजकोट में, इन्दौर और ग्वालियर, नागपुर और लखनऊ में, वहां तो वे बेन्चें उसी प्रकार कायम हैं और जयपुर में जो बेन्च चल रही थी उसको तोड़ दिया गया। यही बात सभी जगह के लिये लागू होती तो कोई बात नहीं थी। केवल राजस्थान को ही सिंगल आउट कर दिया। यह नितान्त अविवेकपूर्ण तो मैं नहीं कह सकता किन्तु दूसरे शब्दों में, थोड़ा न विचार करके इस चीज को रखा गया है। इसी तरह से रेवेन्यु बोर्ड के बारे में भी हम कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल आता है, जयपुर डिवीजन का प्रश्न आता है वहां ज्यादा विचार नहीं किया जाता, जब जयपुर का सवाल आता है तो यह कह कर समाप्त कर दिया जाता है कि यह तो मामूली प्रश्न है। आज राजधानी होते हुए भी जयपुर के अन्दर कमिश्नरी नहीं, छोटी छोटी जगहों पर कमिश्नरियां नियुक्त कर दी हैं, यहां पर हाईकोर्ट की बेन्च का प्रश्न था उसको चक्कर देकर हाईकोर्ट का प्रश्न सामने कर दिया गया, यह गलत भावना है। हम लोगों का यह कभी भी विचार नहीं था कि यहां बेन्च के अतिरिक्त हाईकोर्ट कायम रख दिया जाय। यह तो पंत महोदय के सोचने की चीज थी जिन्होंने कि यहां हाईकोर्ट की बिल्डिंग की नींव रखी। उन्होंने जिस लेखनी से वह हुक्म दिया था उसकी स्याही भी नहीं सूखी, उसको हटाकर जोधपुर भेजने का संकल्प कर लिया। हम भी जोधपुर की जनता की भावनाओं को जानते हैं और उसके आसपास के इलाके के लोगों की भावनाओं को भी जानते हैं। उनका यह कभी भी विचार नहीं रहा कि हाईकोर्ट की बेन्च भी जयपुर में नहीं रहे। वे तो हाईकोर्ट को चाहते थे जो उनको मिल गया। इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमें जनता जनार्दन की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिये, हम लोग आज जो यहां उपस्थित हैं उनकी भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिये हैं। आज हम उनके वोट के आधार पर ही यहां कुर्सियों पर बैठ कर काम कर रहे हैं। इसलिये जब हम ऐसे काम कर रहे हैं, वहां उनकी राय को भी हमें देखना चाहिये, गंभीरता से ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिये और फिर कोई कदम उठाना चाहिये। मेरे ख्याल में जो यहां अशान्ति फैली, वैसी हालत में अचानक शीघ्रता से रेवेन्यु बोर्ड के सम्बन्ध में भी कदम उठाना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को छोड़ दीजिये, भारत के किसी भी हिस्से में इतनी अशान्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ, उस समय जैसा वातावरण कभी भी उपस्थित नहीं रहा। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूँ कि धौलपुर और करौली में रहने वाला एक गरीब किसान अपने ऊपर कोई अन्याय समझता है और वह हाईकोर्ट में जाना चाहता है तो उसको

Page No.44

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

विलायत जाना तो आसान रहेगा बनिस्बत कि वह इसके लिये जोधपुर या अजमेर जाय। हवाई जहाज द्वारा विलायत वह जल्दी पहुँच सकता है।

एक माननीय सदस्य : बुनियादी बातें बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ बुनियादी पहलू पर ही प्रकाश डाल रहे हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी रखते हुए) आप सज्जनों ने बुनियाद ही ऐसी लगाई है दरअसल में कि क्या कहूँ हिस्ट्री नहीं तो पोस्टेरिटी जरूर यह कहेगी कि आपने किस प्रकार का यह कदम उठाया है, अब भी समय है,आप इस पर विचार कीजिये। मेरा केन्द्रीय सरकार से और आप लोगों से जो डेमोक्रेसी के कर्णधार हैं, जो इस विचार-धारा के लोग हैं, उन महानुभावों से निवेदन है कि वे ऐसी बातों पर जरूर सोचें। मेरा यह निवेदन है कि ऐसी बातों को ऐसे समय रखा जाय जिस समय हर आदमी शान्ति से सोच सके, हर पहलू पर विचार कर सके। पहले दिन ही इस प्रकार की बात रख देना मैं उचित नहीं समझता। इस बारे में सोच-समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। मैंने असेम्बली के सदस्य की शपथ ली है, मेरे लिये राजस्थान का प्रत्येक पन्ना, प्रत्येक व्यक्ति एक ही नजर से देखा जाना चाहिये। मुझे जोधपुर, जयपुर, अजमेर सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। अगर आपके और मेरे विचारों में इन बातों के अन्दर मतभेद है तो मैं अपने आपको दोषी समझता हूँ। एक बात यह है कि वह क्या राजधानी, जहां हाईकोर्ट तो क्या हाई कोर्ट की बेन्च भी नहीं, वह क्या राजधानी जिस राजधानी में कमिश्नरी तक नहीं, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं; ये छोटी मोटी बातें तक नहीं,इसलिये मेरा यह निवेदन है कि शीघ्रता से इस सम्बन्ध में कदम नहीं उठाया जाय, यह अविवेकपूर्ण होगा, इस पर दो दफा सोचने की जरूरत है।

१ म० प०

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु बोर्ड का ऑफिस जयपुर में रखा जाय या अजमेर में रखा जाय, यह कोई बड़ी बात नहीं। जब राव कमेटी ने राजस्थान का भ्रमण किया उस समय राजनैतिक पार्टी के लोग उनसे मिले और उसी के आधार पर राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है अजमेर डिवीजन विधान सभा के माननीय सदस्यों ने भी एक मेमोरेन्डम दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि रेवेन्यु बोर्ड और हाईकोर्ट की बेन्च को जयपुर से न हटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जहाँ हम प्रजातंत्र के हामी हैं वहां पर हमको सभी काम प्रजातंत्र के माफिक करने होंगे। सरकार के पास अपनी बातों को बताने के लिए पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके पास राजनैतिक दल है, उसको चाहिये यह था कि हाईकोर्ट और रेवन्यु बोर्ड के संबंध में प्रचार करते और जनता को समझाते कि इस प्रकार से ऑफिस को हटाने से आपको अमुक अमुक फायदे हैं। सरकार को चाहिए यह था कि इस प्रकार की विचारधाराओं का जनता में प्रचार करते और उनके दिमाग को बदलते, लेकिन ऐसा न करके पुलिस के बल से उन्होंने इन सब बातों को मनवाने की चेष्टा की। जिसके फलस्वरूप जयपुर में आन्दोलन हुआ और यह

Page No.45

(श्री सूबेदारसिंह)

इतना आन्दोलन बढ़ा कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर भी १५ अगस्त को झंडा फहराने नहीं दिया गया। सरकार के पास अपना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, उसका राजनैतिक दल हैं, उनका यह कर्तव्य था कि जनता की विचार-धारा को उसके अनुरूप बदलते, लेकिन यह न करके उन्होंने पुलिस के बल पर यह कार्य करना चाहा और पुलिस के जरिये पे ऑफिसेज़ अजमेर कर दिये गये। मेरे इलाके ने भी इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। वैसे ही धौलपुर के निवासी गरीब हैं, उनको जयपुर आना भी महंगा पड़ता है, वे किस प्रकार अजमेर और जोधपुर जायेंगे, इसलिए लोगों की इच्छा जानना जरूरी होता है ऐसे मामलों में। जब राव कमेटी आई उसने यह महसूस नहीं किया था कि जनता इतना प्रदर्शन करेगी, जनता के हृदय पर उनकी रिपोर्ट से इतनी गहरी चोट लगेगी। जन-युग में यह आवश्यक है कि किसी चीज की रिपोर्ट पेश होती है, कमेटी की जानकारी होती है उन सब के बारे में जनता की इच्छा जाननी होगी। जयपुर की जनता ने जो आंदोलन चलाया, उसमें भाग लेने के लिए धौलपुर, करौली, भरतपुर की भी जनता आई, वहां के लोग जेल में गये, तहसीलों में प्रदर्शन हुए, इस प्रकार सब बातें हुई; वैसी हालत में हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम इस प्रकार के काम करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह विचार करके करना होगा। सारे काम जो जनता के हित में करते हैं वे समझौते के आधार पर नहीं हो सकते। एक समझौता आपका और अजमेर का हो सकता है कि यदि अजमेर राजस्थान में विलीन हो जाता है तो अजमेर में फलां फलां आफिस उठाकर दे दिये जायेंगे। अगर हम इस प्रकार समझौते के आधार पर कोई कदम उठाते हैं तो जनता के हित मारे जाते हैं, इसलिए समझौता कोई हुआ भी हो तो उस पर फिर से विचार किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो तरीका अपनाया गया, न तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा और न अपनी पार्टी द्वारा यह जनता को बताया गया कि हाईकोर्ट की बैन्च यहां से क्यों उठाई जा रही है, रेवेन्युबोर्ड यहां से क्यों ले जाया जा रहा है, उससे क्या क्या फायदे होंगे? रेवेन्युबोर्ड के उठाने से धौलपुर और करौली की जनता का क्या हित होगा? इन सब बातों को जनता को बताना चाहिए। यह न करके पुलिस के बल पर किसी कार्य को करना ठीक प्रतीत नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी राजधानी के मामले या हाई कोर्ट के मामले में न जाकर इस पर जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उस धारा की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, धारा ६ के अन्तर्गत अगर जयपुर में रखने का परिवर्तन किया जाता है तो उसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं; अगर अजमेर रखा जाता है तो, कोई आपत्ति नहीं, आज सारा राजस्थान अपना है, किसी भी भाग के अन्दर रेवेन्यु बोर्ड रहता है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बात जरूर है कि राजस्थान में ऐसे कई हिस्से हैं, जहां आवागमन के साधन पर्याप्त रूप से नहीं हैं, इन सब बातों को विचार करते हुए हमें ऐसे स्थान को चुनना चाहिये जो मध्य में हो, उसी हालत में अजमेर का जो चुनाव किया गया है वह उपयुक्त है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से इतना अवश्य निवेदन है कि धारा ६ में जो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अमेन्डमेन्ट रखा है उसको इस प्रकार रखते, जिससे सबको सन्तोष हो जाता। वह धारा क्या है, यह मैं एक मिनिट के लिये पढ़ कर सुना देता हूँ। धारा इस प्रकार है :

"The headquarters of the Board of Revenue shall be at Jaipur but subject to the general or special orders of th State Government it shall be lawful for the Board to sit at any place within its jurisdiction."

आज हमारी सरकार यह नारा लगाती है कि हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं, जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, लेकिन मैं देखता हूँ जिस भाषा का इस धारा में प्रयोग किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। आजकल रेवेन्यु बोर्ड हर डिवीजन में तीन-चार महीने रहता है। उसमें मैं यह संशोधन देना चाहता हूँ कि राजस्व मन्त्री इस धारा को तो वापिस ले लें और इस प्रकार का संशोधन करते कि रेवेन्यु बोर्ड जिला केन्द्रों पर जायगा और वहां पर मुकदमों की सुनवाई करेगा। अगर इस प्रकार संशोधन कर देते हैं तो अजमेर और जयपुर किसी को बाधा नहीं होगी और इस प्रकार जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा, वैसी हालत में मुख्य कर्यालय जयपुर रहे या अजमेर ?

एक प्रश्न धौलपुर से झालावाड़ के बारे में खड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम इस प्रकार का संशोधन कर देते हैं तो न तो इसमें झालावाड़ वालों का शोषण होगा और न धौलपुर वालों का। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से यह बड़ा अस्पष्ट क्लॉज है, subject to the general orders of the State Government. यह हटाकर स्पेसिफिकली यह रख दिया जाय कि जिला केन्द्रों पर बोर्ड जायगा, महीने में या दो महीने में वहीं पर हिअरिंग होगी और वहीं पर फैसला होगा। इस प्रकार संशोधन करने में किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं होगी। इसलिये इस संशोधन को तो वापिस लें और जो संशोधन मैंने बताया है उस प्रकार का संशोधन कर दिया जायेगा, तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। शासन के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से और न्याय मिलने की दृष्टि से यह संशोधन उचित रहेगा। इस बात को मैं अप्रासंगिक मानता हूँ कि इसमें जयपुर और अजमेर को लाया जाय। मेरे कहे अनुसार अगर संशोधन रखा जायेगा तो मैं समझता हूँ कि सभी सदस्यों को सन्तोष होगा, यही मेरा सुझाव है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत सीधा सा अमेन्डमेन्ट था, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उसमें हाई कोर्ट के सम्बन्ध में जो आन्दोलन हुआ उस पर इस समय बहस का कौनसा वक्त था। मगर जो सवाल सामने आया उसके बारे में जयपुर में जो आन्दोलन हुआ और किस तरह हुआ यह तो सारा हिन्दुस्तान जानता है, वह आन्दोलन किस तरह से हुआ उसके बहुत भीतर जाना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के बारे में अमेन्डमेन्ट का सवाल है वह राव कमेटी की रिपोर्ट के बाद में सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका हैडक्वार्टर अजमेर में होना चाहिये। उस निर्णय के बाद में यह जरूरी था कि जब असेम्बली का सेशन आया उस ऑर्डिनेन्स को असेम्बली के सामने रखा जाय और इसीलिए यह असेम्बली के सामने प्रस्तुत किया गया। कई सदस्यों ने यह भी कहा कि विधान सभा के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्यों की राय क्यों नहीं ली गई ? विधान सभा की राय लेने के मौके पर राव कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखी गई और उस पर विधान सभा के सदस्यों की राय जानी गई। इस तरह से यह जरूरी नहीं कि हर चीज में विधान सभा की राय जानी जाय। ये ऐसी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट से तय की जाती हैं। अगर हम इस तरह से हर बात पर विधान सभा की राय जानने लगें, तो यहां क्षेत्रीय भावना को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन्ट्री-ग्रेशन के दौरान में तय करनी पड़ी हैं। वैसी सूरत में हमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर की बातों को छोड़कर सारे राजस्थान को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये। उसमें बाधा आ सकती है। अगर हर एक बात विधान सभा के अन्दर लाकर ऐसे मामलात पास करें। लेकिन जहां तक यह प्रश्न है कि इसको अमेण्ड करना जरूरी है, तो विधान सभा में लाया जाता और समय पर लाया गया और यह कहा जाना कि इसमें जनता की राय नहीं ली, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु हटाया गया और जहां वह गया है, वहां मकानों की सुविधा नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि जिन्होंने यह कहा है, उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के दफतर को देखा नहीं है। अगर उन्होंने देखा होता तो उनको मालूम होता हि बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के दफ्तर के लिए वहां मकान बहुत उपयुक्त और अच्छा मिला है। साथ ही में आपको बताऊं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के मेम्बर्स के रहने के लिए भी कोई असुविधा नहीं है और उनको रहने की सहूलियत भी मिली है और यह कहना कि उनके लिए बगैर मकान की सहूलियत किये उनकी यहां से तब्दीली कर दी, यह बात गलत है।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि पहले पब्लिक ओपिनियन जान लेनी चाहिए थी और जयपुर में जो वायोलेन्स हुआ और जो बातें हुईं उनके लिए कहा गया कि यह इम्प्लीमेन्टेशन की वजह से सब कुछ हुआ। माननीय सदस्य अगर इस बात को जानने की कोशिश करते तो मैं समझता हूं कि यहाँ जयपुर में एज़ीटेशन कब शुरू हुई और उसने वायोलेन्टशेप कब अख्तियार किया और कब यह डिसीजन इम्प्लीमेन्ट हुआ, तो यह मालूम होता कि यहाँ एजीटेशन तो बहुत पहले चालू था और इसका इम्प्लीमेन्टेशन बाद में हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर तो यहां पर एज़ीटेशन शुरू होने के बहुत दिनों बाद शिफ्ट किया गया और यही दूसरे दफ्तरों के लिये भी देखने की बात है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपका यह मतलब है कि एज़ीटेशन नहीं होता तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को नहीं भेजते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) मेरा मतलब तो यह है कि जो अन्ड्यु हेस्ट के लिए कहा गया, ऐसी बात नहीं है। फिर यह कहा गया कि एज़ीटेशन को हमने इन्वाइट किया, यह बात गलत है। उसके लिए तो सरकार ने अपनी ओपिनियन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जरिये और कई दूसरे पेम्फलेट के जरिये दी है। सरकार का दृष्टिकोण तो सरकार के सामने रख दिया गया है और वही दृष्टिकोण आप भी है, उसमें कोई हेर-फेर नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि एज़ीटेशन नहीं होता तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के दफ्तर को नहीं भेजते। फैसला सारी बातों का विचार करके किया गया और सरकार को उस पर अमल करना ही था। मेरा ख्याल है कि

Page No.48

(श्री दामोदरलालदास व्यास)

आप तारीखों को देखते कि किस तारीख को एजीटेशन शुरू हुआ और किस तारीख को यह इम्प्लीमेंट किया, तो यह बात हमारे सामने आज इस तरह नहीं आती कि एजीटेशन को हमने इन्वाइट किया।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह के भी सुझाव दिये हैं और एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अजमेर में रहे या जयपुर में रहे, इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है। मगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यु का ऑफिस जाना चाहिए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के मेम्बर्स जाने चाहिए और हर एक केस की सुनवाई वहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसमें सहूलियत तो काफी होगी। मगर यह प्रेक्टिकल नहीं होगा चाहिए। इसके लिए बहुत सी दलीलें हो सकती हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जायें और काम करें। तो यह तो नामुमकिन सी बात है और इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन तमाम बातों को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि यह केस ऑफ इन्टीग्रेशन है। हमें यह यह मंजूर करना चाहिए कि यह ऑफिस चाहे जयपुर रहे या अजमेर में रहें इसमें फर्क और ज्यादा असुविधा का सवाल नहीं रहता है। क्योंकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है और यह इम्प्लीमेन्ट तो हो चुका है और इसमें सिर्फ अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता है। इसलिए में माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको; जो मैंने विचारार्थ लिये जाने का मोशन रखा है, विचार के लिए लिया जाये।

श्री दयाकृष्ण विजय : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, जो कहा गया कि यह प्रेक्टिकल नहीं है उसके विस्तार में मैं थोड़ा जाना चाहता हूं। मेम्बर्स दो-दो दिन डिस्ट्रिक्ट्स में ठहर सकते हैं और.........

श्री अध्यक्ष : शायद डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स में जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स में जाते हैं। ऐसा बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को अधिकार है कि वह अपने केसेज़ को सर्किट के अन्दर जहां कहीं दौरे के अन्दर जायें तो ले सकती है, subject to certain directions which the Government has given them. मगर आपके कहने का मतलब यह है कि इसमें अमेन्डमेन्ट के जरिये प्रोवीज़न कर दिया जाये, that the Board of Revenue should go where the cases relating to that district are pending. It is impossible. This cannot be done.

रावराजा श्री सरदारसिंह : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर तो जानी चाहिए।

श्री दामोदलारल व्यास : Uniara is not the hedquarter of a District.

रावराजा श्री सरदारसिंह : मालपुरा में तो जरूर जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

१.१५ म० प०

राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, में प्रास्तव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे विधेयक आज ही पास हो जायेंगे और इन पर कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं कर सके। मेरे ख्याल से पहले म्युनिसिपैलिटी बिल लिया जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना माननीय सदस्यों को बहुत पहले दी जा चुकी थी।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो मुझे बिल मिला और न सूचना ही।

श्री अध्यक्ष : I do not know, to what extent I am responsible for that.

श्री श्रीभानसिंह : But sir, to what extent I am responsible for not receiving them.

श्री अध्यक्ष : अगर आपको कुछ कहना है तो किसी भी स्टेज पर कह सकते हैं, लेकिन मालूम होता है कि आपको इतनी दिलचस्पी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : दिलचस्पी तो बहुत है। मगर बिल्स बगैरह मिले ही नहीं, तो मैं इन पर क्या कह सकता हूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य कोई दूसरे कामों में बिजी थे।

श्री श्रीभानसिंह : उन कामों में तो आप भी बिजी थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो भी हमने सारी तैयारियां कीं और इतनी फ़ुरसत हमें मिली।

श्री श्रीभानसिंह : नई नई बुशशर्टस तो खरीदने को फ़ुरसत मिल गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको नई नई दिख रही है, मुझे इसे पहनते हुए एक साल हो गया।

१. १८ म० प०

राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८

(विचार–विमर्श)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गोदाम विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो कॉम्प्रीहेन्सिव बिल है । इसके ऊपर न तो हम अमेन्डमेन्ट भेज सके हैं और फिर बिल भी सर्कुलेट नहीं हुआ है यह आब्जेक्शन अब तो प्रिवेल करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : I think some of important Bills can wait.

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर सिलेक्ट कमेटी में भी काफी बहस हुई थी और जितने भी डिस्प्युटेड मामले थे वे सब सिलेक्ट कमेटी में तय हो गये थे और माननीय सदस्य भी उसके मेम्बर थे और उन्होंने अपने सारे मामले इसमें पेश कर दिये हैं और अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पलीकेटेड हो । फिर भी मेरी यह राय है कि जितना भी काम खत्म हो जाये, अच्छा है । इससे हाउस का काम भी जल्दी खत्म हो जायेगा । मैं तो कहता हूं कि कोई खास बात नहीं है । अगर इसको थोड़ा सा देख लिया जाता तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, फिर भी जैसा आप उचित समझें ।

श्री अध्यक्ष : आप मेम्बर थे सिलेक्ट कमेटी के ।

श्री तनसिंह : मैं था, लेकिन मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है और आप (श्री नाथूराम मिर्धा) कहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उस पर आप बोल लें ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप फरमाते हैं वेट कर लें तो क्या हर्ज है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज करते हैं तो यह खत्म हो जाता है जल्दी । नहीं तो आज का जनता का पैसा और समय व्यर्थ जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह : यह बिलकुल सच है कि पैसा व्यर्थ जायगा, लेकिन मैं इससे डिफरेन्ट समझता हूँ । मेरी जो राय है वह जनता के लिए बहुत जरूरी और उसका जानना लाजिमी है । इसलिए मैं अपनी राय सुनाना और पब्लिश करवाना जरूरी समझता हूँ । मैं निवेदन करता हूँ कि जब कि बिल नहीं आया है, तो उस पर विचार स्थगित कर दिया जाय तो ठीक हो ।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के नोट ऑफ डिसेन्ट हैं वे तो कम से कम इस स्थिति में होने चाहिए कि बहस में हिस्सा ले सकें ।

(किसी के न खड़े होने पर)

यह तो स्थिति शायद कल भी रहे । म्युनिसिपल बिल क्यों न ले लिया जाय ?

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विशेष बात बिल के बारे में है वह अध्ययन नहीं करने की बात है, तब तो स्थगित किया जाय, लेकिन स्थगित करने की ही मन्शा और उसी मकसद से आप कहते हो तो आपको पुनर्विचार करना चाहिये और मेरे ख्याल से इस विधेयक को विचार में लेना चाहिए ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, अगर आपने रूलिंग दिया हो तब तो में सबमिट नहीं करता हूँ, लेकिन जब अध्ययन करने को बिल ही नहीं मिला हो तो क्या अध्ययन करें ?

श्री अध्यक्ष : Well, I am not prepared to accept that.

श्री श्रीभानसिंह : I must say that I am stating a fact.

श्री अध्यक्ष : The presumption is that you should have been a little cautions to see what were the proceedings of the last day.

श्री श्रीभानसिंह : I have my responsibility and I will discharge my responsibility to my fullest extent but I have not received the copy uptil now.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member will just wait and he will get a copy just now.

श्री दामोदरलाल व्यास : Just to say that he has not received a copy of the bill is not convincing.

श्री तनसिंह : दूसरे तरीके से इस तरह आर्ग्युमेंट को इस तरह से ले लें कि तैयार नहीं आये हैं।

श्री भीभानसिंह : Certainly I am not prepared to give this argument. When I have not received the copy how can I prepare myself ?

श्री तनसिंह : मैं सदस्य महोदय से नहीं कह रहा हूँ कि गलती स्वीकार कर लें कि तैयारी नहीं की है। आज हम यह सोचकर आये थे कि पहले पहले दिन सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स आयेंगी, राज्यपाल एड्रेस करेंगे, इसलिए बिलों की तैयारी करके नहीं आये थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रोग्राम तो एक पखवाड़े पहले इशू हो गया है। यह १५ दिन पहले ही मालूम हो गया था कि हाउस में कार्यवाही शुरू होगी और क्या क्या यहां लाया जावेगा। यह कहना कि राज्यपाल का एड्रेस होगा, इसका मतलब यही है कि आपने असेम्बली के कागजात को उठाकर देखा ही नहीं है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह प्रोग्राम जो हमको मिला वह सिर्फ परसों ही मिला है। हो सकता है कि पहले भेजा गया हो, लेकिन वह हमारे घर पहुँच गया हो। हम इस बात को नहीं कहते हैं कि नहीं भेजा गया है। लेकिन अगर आज इसको लिया गया तो हम बहुत ज्यादा कन्ट्रीब्युशन नहीं दे सकेंगे। गवर्नमेंट को खुद को चाहिए कि वह इन बिल्स को रखे इस ढंग से कि बहुत ज्यादा कन्ट्रीब्युशन हम लोग कर सकें। काफी ऑपोजिशन कर सकें ताकि महत्व के जो जो तथ्य हैं वे उपस्थित हो सकें और ठीक प्रकर का लेजिस्लेशन हो। इस लिए यह उपयुक्त है, साथ साथ सब लोगों के लिए उपयुक्त है, राजस्थान की जनता के लिए महत्व की बात है कि अच्छे अच्छे बिलों पर विस्तार से बोलें, जिन पर ज्यादा कन्ट्रीब्युशन की संभावना है। पिछली बार भी जब यह बिल उपस्थित हुआ था काफी बहस हुई थी और इस समय भी हो सकती है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन इससे उस पैसे से ज्यादा कहीं लाभ होगा और पैसा जो खर्च होगा वह तो वैसे भी बरबाद जा रहा है क्योंकि हम कोई राय दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में तो वह पैसा फिजूल ही जायगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों की इच्छा आज विधेयकों को विचारार्थ लेने की कम है। या तो ऐसा हो सकता है कि मंत्री महोदय संक्षेप में इनके प्रोवीजन्स के बारे में कह दें.........

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर इससे थोड़ा भी कुछ फायदा हो जाय तो कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी रिलक्टेंट हो गये अब तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मैं रिलक्टेंट नही हूं। आप कहें तो बांच बांच कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष : आज जो विधेयक रखे गये हैं उनको कल लिया जायगा और सदन की कायवाही......

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल के लिए जो एमेंडमेंट्स देंगे उनको आप एक्सेप्ट कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : Yes, will do that. आज ही दे दें तो स्वीकार कर लेंगे।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बजकर २४ मिनट पर शनिवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १६५८ के ११ बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार २४ अक्टूबर १९५८)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री हंसिया (हंसाराम) ने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। माननीय अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि सर्व श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर)। मुक्तिलाल मोदी, सतीशचन्द्र अग्रवाल, मदनसिंह दांता एवं मुरलीधर व्यास अन्तः

Page No.54

स्कम्भ

सत्रकाल में गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से श्री मुरलीधर व्यास को छोड़ कर अन्य सभी सदस्यों को बाद में रिहा भी कर दिया गया है।

स्थगन–प्रस्ताव ५७

श्री श्रीमानसिंह द्वारा भरतपुर जिले में अकाल की स्थिति से संबंधित प्रस्तुत स्थगन–प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। राजस्व मंत्री दिनांक २७ अक्टूबर को इस पर अपना वक्तव्य देंगे।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश ५७

(१) निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये:—

१. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) (आठवां संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ४ सन् १९५८)

२. राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ५ सन् १९५८)

३. राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ६ सन् १९५८)

४. राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ७ सन् १९५८)

स्कम्भ

५. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने का) (नवां संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ८ सन् १९५८)

६. राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ९ सन् १९५८)

७. राजस्थान पब्लिक डिमांड्स रिकवरी (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० १० सन् १९५८)

८. राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० ११ सन् १९५८)

९. राजस्थान सेल्स टैक्स एसैसमेन्ट एण्ड रिकवरी वेलीडेटिंग अध्यादेश, १९५८ (अध्यादेश सं० १२ सन् १९५८)

(२) सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति ५९

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का

विवरण, जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखा। ये विधेयक इस प्रकार हैं—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :—

1. The Rajasthan Haq-i-Malikana Abolition Bill,1957.
2. The Motor Vehicles (Bombay Amendment) Repealing Bill, 1958.
3. The Mewar Shishu Hitkarini Sabha Decrees (Enforceability) Bill, 1957.
4. The Rajasthan Cash Jagirs Abolition Bill, 1958.
5. The Rjaasthan Habitual Offenders (Amendment) Bill, 1958.
6. The Rajasthan Shops and Commercial Estabilshments Bill, 1957.
7. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1958.
8. The Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Bill 1958.
9. The Rajasthan Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1958
10. The Rajasthan Registration of Births, Deaths and Marriages Bill, 1958.

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. The Rajasthan Provisional Collection of Taxes Bill, 1958.
2. The Rajasthan Excise Amendment) Bill, 1958.
3. The Rajasthan Pensions Bill, 1958.
4. The Rajasthan Societies Registration Bill, 1957.
5. The Rajasthan Mica Bill. 1958.

(१) प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ६१

श्री नाथूराम मिर्धा, सभापति, प्रवर समिति, ने निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया:—

(क) राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८

(ख) राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५८

(ग) राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८

स्कम्भ

(२) निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये--- ६१

१. राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८

२. राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८

३. राजस्थान लैंड रेवेन्यु (प्रथम संशोधन) विधेयक, १६५८

४. राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) विधेयक, १६५८

५. राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (नवां संशोधन) विधेयक, १६५८

६. राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन (संशोधन) विधेयक, १६५८

७. अजमेर अबोलिशन ऑफ इन्टर मीजियेरीज एन्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १६५८

८. राजस्थान लैंड रेवेन्यु (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

९. राजस्थान लैंड रेवेन्यु (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८

१०. राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८

११. राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १६५८

१२. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

१३. राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६५८

१४. राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५८

१५. राजस्थान मेटर्निटी वेनिफिट (संशोधन) विधेयक, १६५८

१६. राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

१७. राजस्थान भिक्षा वृत्ति-निवारण विधेयक, १६५८

स्कम्भ

विचारार्थ विधेयक ६८

१. राजस्थान लैंड रेवेन्यु (प्रथम संशोधन) विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श एवं पारित)

२. राजस्थान कोलोनाइजेशन (संशोधन) विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श एवं पारित) ६७

३. राजस्थान गोदाम विधेयक १६५८ (विचार विमर्श) ६८

शनिवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १६५८ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान गोदाम विधेयक १६५८ (पारित)

(२) राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिये)

तारांकित प्रश्न संख्या ३१ सी. एम. की सूची।

तहसील जयपुर :	१.	गोनेर।
	२.	बांसखोह
तहसील आमेर :	३.	हस्तेड़ा।
	४.	इटावा भोपजी ।
तहसील बसवा :	५.	गुढ़ा कटला।
तहसील सिकराय :	६.	सिकराय।
	७.	गीजगढ़।
तहसील चाकसू :	८.	शिवदासपुरा।
	९.	कोट खावदा।
तहसील दौसा :	१०.	सैंथल।
	११.	लवाण।
	१२.	कुन्डल।
	१३.	पापड़दा।
	१४.	लोकारावजी।
तहसील फागी :	१५.	मौजमाबाद।
	१६.	माधोराजपुरा।
तहसील बैराट :	१७.	वैराठ।
	१८.	शाहपुरा।
	१९.	भेड।
	२०.	धातला।
तहसील कोटपुतली :	२१.	प्रागपुरा।
	२२.	बीलवाड़ी।
	२३.	नारहेडा।
	२४.	पावटा।
तहसील फुलेरा ;	२५.	रैनवाल।

Page No.58

	२६.	नधाल ।
	२७.	मात्तवा ।
	२८.	भैंसलाना ।
	२९.	साखून :
	३०.	त्रिचून ।
तहसील लालसोट :	३१.	डीडवाना ।
तहसील जमवा रामगढ़ :	३२.	जमवा रामगढ़ ।
	३३.	आंधी

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्नसंख्या १५ का उत्तर देखिये)

१.	राजगढ़ १३२।३३ के. वी. और ३३।११ के. वी		पंजाब विकास विभाग इस ग्रिड स्टेशन को बनवायेगा।
२.	रतनगढ़ १३२।६६।३३ के. वी. और ३३।११ के. वी.	फरवरी, ५५	अप्रेल, ५६
३.	बीकानेर ६६।३३।११ के. वी.	फरवरी, ५५	अप्रेल, ५६
४.	भादरा ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	अप्रेल, ५६
५.	नोहर ३३ के. वी.	मार्च, ५५	जौलाई, ५६
६.	पिलानी ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	मार्च, ५६
७.	चिड़ावा ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	अप्रेल, ५६
८.	झुंझनू ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	मई, ५६
९.	सैरदार शहर के. वी.	अगस्त, ५५	अक्टूबर, ५५
१०.	फतेहपुर ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	अगस्त, ५५
११.	लक्ष्मणगढ़ ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	सितम्बर, ५५
१२.	सीकर ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	अक्टूबर, ५५
१३.	तलछपेट ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	मार्च, ५६
१४.	चूरू ३३ के. वी.	नवम्बर, ५५	अप्रेल, ५६
१५.	श्री गंगानगर ६६।३३।११ के. वी.		पंजाब विद्युत विभाग इस ग्रिड सब स्टेशन बनावेगा।
१६.	सादुलशहर ३३ के. वी.	अगस्त, ५५	अप्रेल, ५६
१७.	सादुलगढ़ ३३ के. वी.	अगस्त, ५५	मार्च, ५६
१८.	पोलाबगा ३३ के. वी.	अगस्त, ५५	फरवरी, ५६
१९.	सूरतगढ़ ३३ के. वी.	अगस्त, ५५	जनवरी, ५६
२०.	केसरीसिंहपुरा ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	जून, ५५
२१.	करनपुर ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	जून, ५५
२२.	गजसिंहपुर ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	जून, ५५
२३.	रायसिंहनगर ३३ के. वी.	फरवरी, ५५	जुलाई, ५५

सी. । के. वी. सब स्टेशन :

२४. जैटसर ११ के. वी	अप्रेल, ५५	अगस्त, ५५
२५. विजयनगर ११ के. वी.	अप्रेल, ५५	अगस्त, ५५
२६. चौताला रोड ११ के. वी.	मई, ५६	अगस्त, ५६
२७. हनुमानगढ़ ११ के. वी	मई, ५६	अगस्त, ५६
२८. सुरजगढ़ ११ के. वी	जून, ५६	अक्टूबर, ५६
२९. खेतड़ी ११ के. वी.	जून, ५६	अक्टूबर, ५६
३०. बिसाऊ ११ के. वी.	मार्च, ५५	जून, ५५
३१. नवलगढ़ ११ के. वी.	मार्च, ५५	जून, ५५
३२. कडव्याम ११ के, वी.	मार्च, ५५	जुलाई, ५५
३३. पालाना ११ के. वी.	मई, ५६	अगस्त, ५६
३४. देशिनका ११ के. वी.	मई, ५६	अगस्त, ५६
३५. सरपसर ११ के. वी.	अप्रेल, ५५	सितम्बर, ५५
३६. रामगढ़ ११ के. वी.	मार्च, ५५	जून, ५५
३७. जसन्तगढ़ ११ के. वी	मार्च, ५५	जून, ५५
३८. गंगानगर : मीनासर	मई, ५६	अगस्त, ५६

परिशिष्ठ ३

(कृपया प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

चौकड़ी हवाली शहर गर्बी में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं की सूची

१.	पारीक कॉलेज, जयपुर	प्राइवेट	सहायता–प्राप्त
२.	खण्डेलवाल हाई स्कूल, जयपुर	,,	,,
३.	यूनियन मिडिल स्कूल, जयपुर	,,	,,
४.	सिन्धी मिडिल स्कूल, जयपुर	,,	,,
५.	बाल निकेतन स्कूल, बनी पार्क	,,	,,
६.	बालशाला स्कूल, स्टेशन रोड, जयपुर	,,	,,
७.	रेज़ीडेन्सी मिडिल स्कूल,	सरकारी	
८.	कान्तिचन्द्र रोड प्राइमरी स्कूल,	,,	
९.	प्राइमरी स्कूल वाटर वर्क्स, जयपुर	,,	
१०.	प्राइमरी स्कूल, स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स,	,,	
११.	,, ,, नुमाइश कैम्प, जयपुर	,,	
१२.	,, ,, रेल्वे स्टेशन, जयपुर	,,	
१३.	,, ,, रेल्वे स्टेशन रोड, जयपुर	,,	
१४.	,, ,, रेलवे कोलोनी गणपति नगर	,,	
१५.	,, ,, हसनपुरा	,,	
१६.	,, ,, हथरोही	,,	
१७.	,, ,, रेज़ीडेन्सी रोड	,,	
१८.	,, ,, सी स्कीम	,,	
१९.	,, ,, नाहरी का नाका	,,	
२०.	राजकीय कन्या प्राथमिक शाला, झोटवाड़ा	,,	
२१.	राजकीय कन्या प्राथमिक शाला, रेलवे स्टेशन	,,	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

भरतपुर जिले के उप शिक्षा निरीक्षकों के अधिकार में दिये गये माध्यमिक स्कूलों की सूची

श्री विश्वम्भर प्रसाद माथुर, उप शिक्षा निरीक्षक				श्री रामलाल राजपाल, उप शिक्षा निरीक्षक			
क्रमांक		नाम शाला	मुख्य स्थान से दूरी मीलों में.	क्रमांक		नाम शाला	मुख्य स्थान से दूरी मीलों
१	मा. शा.	बल्लमगढ़	३२	१		महाराजा बदनसिंह मिडिल स्कूल, भरतपुर,	१
२.	,,	निठार	३०	२.		बेसिक मडॉल मिडिल स्कूल भरतपुर.	१
३.	,,	हलैना	२३	३.	मा. शाला.	सेंवर	४
४.	,,	मथैना	३२	४.	,,	जघीना	४
५.	,,	अलीपुर	३६	५.	,,	रारह	८
६.	,,	ब्रह्मबोंद	२७	६.	,,	पीपला	८
७.	,,	खसेरी	३४	७.	,,	पथार	१३
८.	,,	रूदावल	१६	८.	,,	अवार	८
६.	,,	उन्चैन	११	६.	..	सीही	१०
१०.	,,	धौलपुर	७२	१०.	,,	डीग	२२
११.	,,	मनियां	५६	११.	,,	जनथर	२३
१२.	,,	पंचगांव	७५	१२	,,	खोह	२६
१३.	,,	सरानी खेड़ा	७०	१३.	,,	सीकरी	४१
१४.	,,	अबदुलपुर	७०	१४.	,,	मानोताकला	४२
१५.	,,	सेपेऊ	८४	१५.	,,	समली	४७
१६.	,,	तसीमो	८२	१६	,,	पहाड़ी	५०
१७.	,,	बसई नबाव	७६	१७.	,,	जरहरा	४८

Page No.63

१८.	,,	सरमधरा	११३	१८.	,,	गोपालगढ़	४६
१६,	,,	बसेडी	१०६	१६.	,,	बोलखेड़ा	४२
२०.	,,	राजाखेड़ा	६३	२०,	,,	सुनारी	७
२१.	,,	रहसेना	७६	२१.	,,	बहनेरा	६
२२.	,,	कंचनपुर	६४	२२.	,,	गादोली	१८
				२३.	,,	अखैगढ़	३८
				२४.	,,	पीगोरा	१४

————

परिशिष्ट ५

(प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

कृषि फार्म, जिला पाली

२८. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

पाली जिले में कहां कहां कितने कृषि फार्म हैं तथा कितने और कृषि फार्म बनाने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

२. पाली जिले में सन् १९५७–५८ तक एरनपुरा में और पाली शहर के पास १००-१०० एकड़ के दो बीज उत्पादक फार्म खोले गये हैं। सरकार की एक फार्म रामपुर के आसपास इस साल खोलने की योजना है।

प्रश्न

गांवरिडी के सरपंच की हत्या

२९. **श्री मुरलीधर व्यास** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि गांवरिडी के सरपंच की हत्या की गई ?

(२) यदि हां, तो इस सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

प्रश्न

वैदिक कन्या पाठशाला, आबू रोड का भवन

३०. **श्री मोहब्बतसिंह** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि कि वैदिक कन्या पाठशाला, आबू रोड के भवन निर्माण का कार्य धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा हुआ है ?

(ख) क्या सम्बन्धित संस्था ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि उचित धनराशि इस भवन निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिये प्रदान की जावे ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) मार्च ५८ को ५००० रु० भवन बनाने के लिए दिये जा चुके हैं।

प्रश्न

लूणकरणसर में डाक बंगले का निर्माण

३१. **श्री भीमसेन :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा लूणकरणसर में डाक बंगले के निर्माण हेतु कितनी धन-राशि इस वर्ष मंजूर की जा चुकी है ?

(ख) भवन निर्माण में बीकानेर की अपेक्षा लूणकरणसर में कितना प्रतिशत खर्च अधिक पड़ता है ?

उत्तर

(क) १६००० रुपये.

(ख) २० प्रतिशत से ३० प्रतिशत

प्रश्न

नेहड़ा बांध—पाली तहसील

३२. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पाली तहसील में नेहड़ा बांध बनाने के लिये गांव नेहड़ा व उसके आस पास के गांव वालों ने कोई मांग सरकार से की है ?

(२) क्या उक्त नेहड़ा बांध का सर्वे होना शुरू हो गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) हां।

(२) प्रारंभिक जांच की है और विस्तृत सर्वे का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

प्रश्न

Primary Schools for Sindhies

३३. **श्री अर्जुनदास :** Will the Education Minister be pleased to state:

(1) Whether the Director of Education has passed orders that in the Primary schools for Sindhies, Sindhi shall be taught and that Sindhi shall be the medium of instruction?

(2) Whether it is a fact that in the Refugee Primary School Chandpole, Jodhpur, the Head Master is trying to admit students who are not refugees and do not know Sindhi language at all ?

(3) Whether there are about four teachers in the school mentioned in (2) above, who do not know Sindhi language and are not in a position to teach the students through the medium of that language ?

(4) Whether a number of representations have been made against this condition prevailing in the school mentioned (2) above?

(5) When dces the Government propose to remedy the defects mentioned in (2) and (3) above.

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) गवर्नमेन्ट प्राइमरी स्कूल, चांदपोल केवल सिन्धी विद्यार्थियों के लिये ही नहीं है। नॉन सिन्धी विद्यार्थियों का भी प्रवेश होता है।

(३) केवल ३ शिक्षक ऐसे हैं जो सिन्धी नहीं जानते।

(४) इस बारे में कोई भी लिखित शिकायत नहीं हुई।

५. यह स्कूल केवल सिन्धी विद्यार्थियों के लिये ही नहीं है, अन्य विद्यार्थी भी पढ़ते हैं जिनकी संख्या ४०% है, इसलिये नान सिन्धी विद्यार्थियों के प्रवेश बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी जरूरी है कि वहां कुछ शिक्षक हिन्दी पढ़ाने वाले भी होने चाहिये। हिन्दी कक्षा ३ व उसके ऊपर अनिवार्य विषय है और सिन्धियों को हिन्दी का न्यूनतम ज्ञान होने के कारण यह आवश्यक है कि ऐसे स्कूलों में हिन्दी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये वहां पर हिन्दी शिक्षकों का रखना आवश्यक है।

प्रश्न

सड़क निर्माण---जिला बांसवाड़ा

३४. **श्री हीरा :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से सज्जनगढ़ तथा कुशलगढ़ बामनियां तथा दहोद आदि सड़कों का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था?

(२) उपरोक्त सड़कों के निर्माण कार्य का ठेका किस-किस ठेकेदार को दिया गया था? यदि हां, तो कितनी बार तथा क्या एग्रीमेन्ट लिखवाया गया था?

(३) यदि हां, तो कितनी बार पुलिया टूटी और क्या संबंधित ठेकेदारों से नुकसान का रुपया वसूल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किन ठेकेदारों से कितनी रकम वसूल की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) कुशलगढ़, उदयगढ़ सन् १९४८. ४९
कुशलगढ़ सज्जनगढ़ सन् १९५१. ५२
कुशलगढ़ बामनियां।

कुशलगढ़ दहोद गुन्डी होकर आरम्भ नहीं हुए।

(२) कुशलगढ़ उदयगढ़–सड़क का ठेका–जगदीशचन्द्र गुप्ता। पुलियों का ठेका, दलीपसिंह, जीतसिंह, जगदीशचन्द्र गुप्ता।

कुशलगढ़– सज्जनगढ़, सड़क का ठेका मदनमोहन गोयल, दलीपसिंह जीतसिंह और ओम् कार्यालय। नियमानुसार एक कार्य का एक ही एग्रीमेंट स्वीकृत होता है।

(३) हरिन काजवे टूट जाने पर जगदीशचन्द्र गुप्ता ठेकेदार के खर्च पर ठीक करवाया गया। बाकी पुलियां टूट जाने पर ठेकेदारों की अमानत की रकम रोकी हुई है और उन पर जुर्माना इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न

प्राइमरी स्कूल, डूंगरपुर शहर

३५. **श्री बालमुकुन्द :** क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डूंगरपुर शहर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र किस इमारत में बैठकर पढ़ते हैं?

(ख) क्या जिस जगह छात्र पढ़ते हैं, वह धार्मिक स्थान है? यदि हां, तो क्या बच्चों के पढ़ने में बाधा नहीं पहुंचती?

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ कक्षाएँ म्युनिसिपल बोर्ड की धर्मशाला में लगती है? यदि है, तो क्या मुसाफिरों द्वारा पढ़ाई में बाधा पहुँचती है?

(घ) इस प्रकार जगह के अभाव को देखते हुए क्या सरकार डूंगरपुर में मिडिल स्कूल भवन बनाना आवश्यक समझती है? यदि हां, तो कब तक बनाने की योजना है?

उत्तर

(क) नीचे लिखे हुये प्राथमिक शालाओं में अध्ययन करते हैं।

१. जिन्हे स्कूल श्री नाथजी के मन्दिर के प्रांगण में किराये पर।

२. ब्रान्च स्कूल म्युनिसिपल सराय के एक भाग में किराये पर।

३. विजय प्राइमरी शाला किराये भवन में।

(ख) जैसा कि उपर बताया गया है कि प्राइमरी शाला नम्बर १ धार्मिक स्थान के अहाते में लगती है एवं साधारण तौर से अध्यापन कार्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है अध्यापन कार्य प्रायः मन्दिर में पूजा-पाठ के समय के अतिरिक्त होता है।

(ग) हां, प्राथमिक शाला संख्या २ म्युनिसिपल सराय के एक कक्ष में लगती है। सामान्यतः पाठन कार्य में व्यवधान उपस्थित नहीं होता। मुसाफिर प्रायः शाम को आकर रात्रि में ठहर कर प्रातः चले जाते हैं।

(ग) माध्यमिक शाला का भवन बनाने का प्रश्न जनता के सहयोग से ही हल हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास करने पर भी जनता की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अतः जब भी जनता की ओर से मिडिल स्कूल भवन बनाने के लिए सहयोग प्राप्त होगा सरकार भवन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

प्रश्न

प्रमुख मार्गों का राष्ट्रीयकरण

३६. **श्रीमती गंगादेवी डाटा :** क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार निकट भविष्य में राज्य के प्रमुख मार्गों (Routes) का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(२) क्या परिवहन (Transport) विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वत व पक्षपात व्याप्त हैं? यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं!

उत्तर

(१) हां, शीघ्र ही।

(२) ऐसे गोल-माल प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

प्रश्न

गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर के कर्मचारी

३७. **श्री मुरलीधर व्यास :** क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को इतवार सवेतन छुट्टी मिलती है?

(२) क्या ऐसे भी कोई सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें कोई छुट्टी की सुविधा नहीं मिलती?

(३) गवर्नमेन्ट होस्टल में कितने कर्मचारी हैं और वे कितने वर्षों से सरकारी नौकरी कर रहे हैं?

(४) क्या इनके लिये भी कोई छुट्टी आदि के नियम लागू हैं?

उत्तर

राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को सवेतन रविवार की छुट्टी मिलने के आदेश तो जारी किये हुए हैं किन्तु जिन विभागों में कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गवर्नमेन्ट होस्टल में निम्नांकित १५ कर्मचारी हैं और उनकी सरकारी नौकरी का समय उनके नाम के आगे अंकित हैं :

१	श्री मोहनलाल शर्मा, सुपरवाइजर	१६ वर्ष
२	श्री कामेश्वर शरण माथुर, लेखक	७ वर्ष
३	श्री लक्ष्मीनारायण सीमावत, लेखक	६ वर्ष
४	रामबक्स, चपरासी	७ वर्ष
५	सोहनलाल, चपरासी	७ वर्ष
६	वली मोहम्मद, फर्राश	९ वर्ष
७	कादरखां, फर्राश	१२ वर्ष
८	पीर मुश्ताक अली, फर्राश	१६ वर्ष
९	पीरबक्स, फर्राश	२४ वर्ष
१०	कन्हैयालाल पुरोहित, फर्राश	१२ वर्ष
११	जियाउद्दीनखां, चौकीदार	६ वर्ष
१२	सीताराम, चौकीदार	२४ वर्ष
१३	प्रभाती, हरिजन	७ वर्ष
१४	नाथू, हरीजन	४ वर्ष
१५	गोपाल, फर्राश	१० वर्ष

सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी नियम गवर्नमेन्ट होस्टल के कर्मचारियों पर भी लागू हैं।

प्रश्न

मोटरों की कम्पलैन्ट बुक की जांच

३८. श्री रामकरणसिंह : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कम्पलैन्ट बुक हर बस वाले को साथ रखने का आदेश है तथा इसकी विभागीय जांच समय पर की जाती है ?

(ख) यदि हां, तो जयपुर-अलवर और कोटपूतली रूट पर चलने वाली बसों की कब कब जांच की गई ?

(ग) क्या किसी बस के साथ कम्पलैन्ट बुक न मिलने की भी बात पाई गई ?

(घ) क्या किसी बुक में किन्हीं यात्रियों की रिपोर्ट भी मिली ?

(ङ) यदि हां , तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) हां ।

(ख) चार महिने में १८ दफा जयपुर अलवर और कोटपुतली पर चलने वाली बसों की जांच की गई।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

पत्थर की खान फिदूसर

३६. **श्री सूरजमल** : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के समीप फिदूसर पत्थर की खानों के ठेकेदारों को खानों का सुधार करने व रद्दी पत्थर काटने व मलबा हटाने तथा औजार आदि खरीदने के लिये सरकार द्वारा कर्ज दिया जावेगा ? यदि हां तो कब तक और हर ठेकेदार को कितनी धन-राशि दी जावेगी ?

उत्तर

नहीं।

प्रश्न

बांगड़ हाई स्कूल पाली,

४०. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) पाली की बांगड़ हाई स्कूल में कुल कितने छात्र इस समय पढ़ रहे हैं ?

(२) क्या उक्त स्कूल को सरकार मॉडल या सेकण्डरी हाईस्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ७२५.

(२) पायलट स्कीम के अंतर्गत यह स्कूल चुन लिया गया है।

प्रश्न

भाखरा योजना से पानी लेने का अनुबन्धन

४१. **श्री रामकरणसिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार ने पंजाब व सैन्ट्रल सरकार से भाखरा योजना से राजस्थान के लिये पानी लेने का कोई एग्रीमेन्ट किया है ?

(२) यदि हां, तो उस एग्रीमेन्ट की क्या शर्तें हैं ?

(३) क्या फसल बोते समय पानी पिलाई के लिये दिया जाता है, उतनी ही जमीनों में फसल पकने तक पिलाई के लिये पानी मिलता रहता है और मिलता रहेगा ?

(४) यदि नहीं, तो जिन काश्तकारों ने फसल बो दी है उनकी फसल पानी न मिलने से नष्ट हो तो उसकी जिम्मेदारी किस पर समझी जायेगी ?

उत्तर

(१) हां।

(२) समझौते के अनुसार सतलज नदी के पानी में से सम्बन्धित हिस्सेदारों का हिस्सा जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर नापा जायगा, निम्न प्रकार है :

२१ सितम्बर से २० मई तक :

पंजाब	८८. ८९ प्रतिशत
राजस्थान	११. ११ प्रतिशत

२१ मई से २० सितम्बर तक :

पंजाब	८८. ९१ प्रतिशत
राजस्थान	११. ०९ प्रतिशत

(३) यह हिस्से में मिले हुये पानी की मात्रा पर निर्भर है

(४) जो फसल काश्तकारों ने बो दी हैं और पानी न मिलने के कारण पूरी उपज न देवे तो उसके लिये सरकार द्वारा खराबा देना स्वीकृत किया हुआ है।

प्रश्न

अलवर नगर से दफ्तरों का स्थानान्तरण

४२. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या अलवर नगर से कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर आदि दफ्तर स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, तथा अब राजकीय प्रेस आदि उठाने के सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस उद्देश्य से किया जा रहा है ?

उत्तर

जनता की सुविधा कार्य के सुचारू रूप से चलने के हेतु ही कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर एवं एडिशनल कमिश्नर के विभागों का स्थानान्तरण अलवर से जयपुर किया गया है। राजकीय प्रेस को स्थानान्तरण करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है

प्रश्न

गोगुन्दा सड़क निर्माण

४३ **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गोगुन्दा सड़क पर किस ठेकेदार को कब व कितने समय में काम पूरा पूरा करने का ठेका दिया था ?

(२) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया ?

(३) क्या उपरोक्त सड़क में २ मील का कन्सोलिडेशन का कार्य भारत सेवक समाज को दिया गया ?

(४) क्या इस कार्य में कोई घाटा दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जाँच की गई ?

उत्तर

(१) सूची प्रस्तुत है।

(२) बहुत सा काम पूरा हो गया है तथा कुछ बकाया है।

(३) जी, हां।

(४) जी, नहीं। फिर भी जांच की जा रही है।

उदयपुर गोगुन्दा सड़क पर काम करने वाले ठेकेदारों की सूची

सं० ठेकेदार का नाम	काम का नाम	कितना समय दिया गया	काम के आर्डर देने की तारीख
१. श्री भंवरलाल भारद्वाज	मेटलिंग उदयपुर गोगुन्दा रोड माईल १७. १८ सेक्शन ३.	४ मास	१०. १०. ५३
२. श्री नारायणलाल बजाज	मेटलिंग उदयपुर गोगुन्दा रोड माईल ११ से १३ सेक्शन १	४ मास	१०. १०. ५३
३. श्री नारायणलाल बजाज	मेटलिंग उदयपुर गोगुन्दा रोड माईल १५. १६ सेक्शन २.	४ मास	१०. १०. ५३
४. श्री शोभालाल शर्मा	अर्थ वर्क फोर कन्सट्रक्टिंग उदयपुर गोगुन्दा रोड माईल १६ सेक्शन ४	२ मास व १५ दिन	१७. १. ५४
५. श्री लक्ष्मणलाल शर्मा	कन्सट्रक्शन ऑफ कलवर्ट ऑन उदयपुर गोगुन्दा रोड	४ मास	२५. ११.५४

Page No.73

६. श्री भंवरलाल भारद्वाज	कन्सट्रक्शन ऑफ उदयपुर गोगुन्दा रोड	६ मास	२७. ५. ५५
७. श्री त्रिलोकीनाथ गोयल	पार्टली मेटलिंग एन्ड पार्टली ग्रेवलिंग रोड फ्रॉम उदयपुर टू सोम वाया गोगुन्दा ओगना कोटरी एन्ड फलासिया	३ मास	१३. ३ ५६
८. मेसर्स भारद्वाज ब्रदर्स	पार्टली मेटल एन्ड पार्टली ग्रेवल रोड फ्रॉम उदयपुर टू सोम वाया गोगुन्दा : पार्टवर्क अप टू गोगुन्दा :	८ मास	१६. १२. ५६
६. मैसर्स भारद्वाज ब्रदर्स	कन्सट्रक्शन ऑफ कलवर्ट्स ओन गोगुन्दा उदयपुर रोड	२ मास	११. ३. ५७

प्रश्न

हाई स्कूल, कोटपुतली

४४. **श्री रामकरणसिंह** : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) हाई स्कूल, कोटपुतली को सरकार ने अपने अधिकार में कब लिया था ?

(२) उक्त स्कूल के स्टाफ में से किन किन को लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या इनमें से किसी का फिक्सेशन हुआ है ? यदि नहीं, तो इनके फिक्शेसन इतने समय से न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) दिनांक १६. ६. ५४ को।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं, फिक्सेशन केसेज अकाउन्टेन्ट जनरल को जांच और फाइनलाइजेशन के वास्ते भेजे हुए हैं।

(प्रश्न संख्या ४४ से सम्बन्धित सूची)

1. Shri Ram Narayan Maheswari	H.M.
2. Shri Prabhu Dayal Saini	AT.
3. Shri Banwari lal	AT.
4. Shri Jagdish Pd.	AT.
5. Shri Mahendra Sharma	AT.

6. Shri Rajendra Prasad	AT.
7. Shri Mussadi lal	AT.
8. Shri Kanhaiyalal	AT.
9. Shri Gheesa lal	AT.
10. Shri Kaboo Chand	AT.
11. Shri Lal Chand	AT.
12. Shri Suwalal	Clerk.
13. Shri Chhotalal	Lab. Boy.

Class IV Servants

1. Shri Poosaram	Peon
2. Shri Mata Deen	Peon
3. Shri Geensalal	Pga arash
4. Shri Mangilal	Waterman.
5. Shri Arjun	Sweeper
6. Shri Hanuman	Chowkidar.
7. Shri Gyarsilal	Cook.
8. Shri Mukha	Sweeper.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २४ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३	२४	Masonry Work	Masonnry Work
३	२७	Quantity Cement	Quantity of Cement
३	२८	Barrage are	Barrage is
१०	६	the laon of	loan
११	४	Untility and	Utility and
१२	२२	ihat it	that it
१४	५	iead out	read out
१६	५	जब्दी से जल्दी	जल्दी से जल्दी
१८	१३	ssue ol the Careers and...	issue of the Careers and Courses.
२१	६	Housea ssured	House assured
२१	१७	करने को कहा	कराने को कहा
२१	२४	that the e	that these
२२	अन्तिम	where sent	were sent
२३	२६	Non Leader	Hon'ble Leader
२६	१६	उनिगारा की	उनियारा जी
३६	१५	(श्री पूरनचन्द बिश्नोई)	श्री पूनमचन्द बिश्नोई
३७	३०	glazing rates	grazing rates
४३	८	पकडा जाना	पकड़ा जाना
४४	२०	उस ट्राइवर	उस ड्राइवर
५६	२२	Shbha Decrees	Sabha Decrees
६०	१६	Bill, 1658	Bill, 1958
६४	३०	प्रस्तव करता	प्रस्ताव करता
६५	२	आज्ञा प्रनान	आज्ञा प्रदान
६६	१७	श्री दामोदरबाल	श्री दामोदरलाल
७०	३-४	disuss ilfhit	discuss it
७१	१३	Olear Terms	Clear Terms
७२	३३-३४	परिस्थिरथितियाँ थी	परिस्थितियाँ थीं
७३	६	कोई रिपोट	कोई रिपोर्ट
७४	६	w ll fall	will fall

१	२	३	४
७४	२७	किर तरह	किस तरह
८०	१०–११	डेस्ट्रक्शन	डेस्ट्रक्शन हुआ
८३	२६	लिये, उचित	लाये, उचित
८५	११	जगह उपलम्ध	जगह उपलब्ध
८६	१०	इलाके ने	इलाके में
९१	८	of th State	of the State
९२	६	इस षशोधन	इस संशोधन
९४	२६	आप भी	अब भी
९८	अन्तिम से ४	गोदाम विधेयक, १९५८	गोदाम विधेयक. १९५७
९९–१०४	शीर्ष	राज० गोदाम विधेयक, १९५८	राज० गोदाम विधेयक, १९५७
१०२	१६	प्रकर का	प्रकार का
१०३	१	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१०६	३	जम्राई नदी	जवाई नदी
१०७	२३	राजस्थान भू-राजस्व	राजस्थान भू-राजस्व
११०	९	Bill, 1969	Bill, 1968
११२	१३	भिक्षा वत्ति	भिक्षा वृत्ति
१२१	५	प्रतिशत खच	प्रतिशत खर्च
१२४	२३	के आश	आदेश

————